नायिका
अपने जीवन की

मार्च 2022

अंक–1

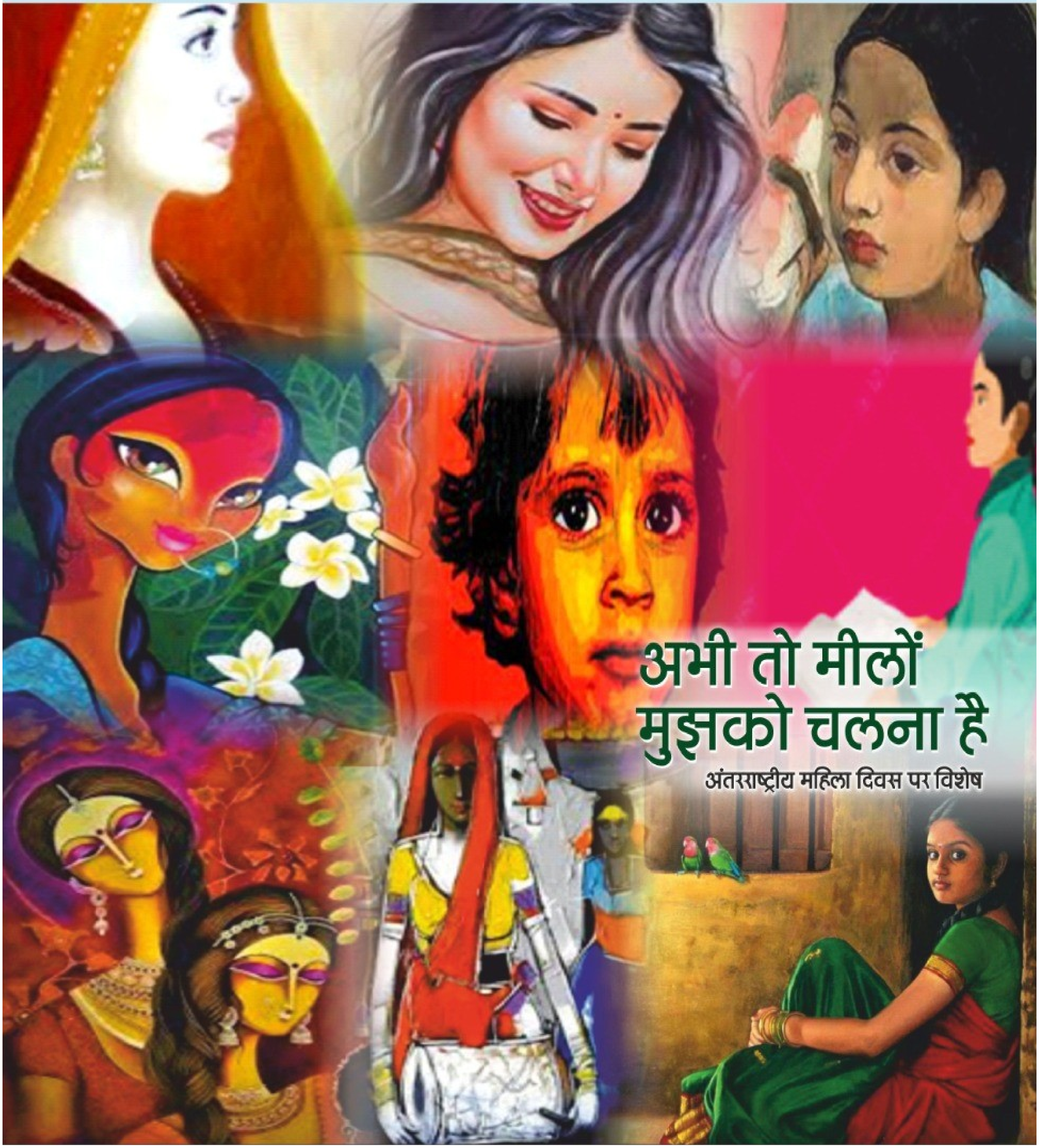

अभी तो मीलों मुझको चलना है

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष

इस अंक में

कुरीतियों को दूर करने के लिए अनोखी पहल– 40

बिहार के सभी जिलों में उड़ान परियोजना शुरू – 41

महिला उद्यमियों की हुनर को पहचान – 42

अनुक्रमणिका

मेरी कलम से	3
बिहार की वामाएं	5
विश्व पटल पर छाई महिला कलाकार	7
रोल मॉडल्स बनाएं और उन्हें सेलिब्रेट करें : भूमि	8
सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा पर सर्वाधिक व्यय	9
एनएफएचएस–5ः आंकड़े और परिस्थितियां	12
बनाई अलग पहचान और पाया सम्मान	15
बिहार में महिला उद्यमिता	18
महिला विशेष कोषांगः महिलाओं पर हिंसा रोकने की पहल...	20
महिलाएं ही ग्रामीण विकास की कुंजी	22
बिहार का पहला 'खुला शौचमुक्त' गांव सीतामढ़ी में	23
क्योंकि मैं लड़की हूं मुझे पढ़ना है– कमला भसीन	25
मलालाः लड़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो	26
महिलाओं को पंचायत में आरक्षणः आरंभ नये युग का	27
एकल महिलाएंः सहानुभूति नहीं, समान अधिकार चाहिए	29
सामाजिक दंश है बाल विवाह	31
वन स्टॉप क्राइसिस सेंटरः सही समय पर सही मदद	33
जमुई में समाज सुधार अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री	35

नायिका
अपने जीवन की

अंक 1 वर्ष 2022

महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा
प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका

प्रधान संपादक

श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा

संरक्षक

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव

संपादकीय टीम

अविनाश उज्ज्वल
सुमित सौरभ

संकलन, संपादन, शोध एवं डिजाइन

इक्विटी फाउंडेशन
पटना

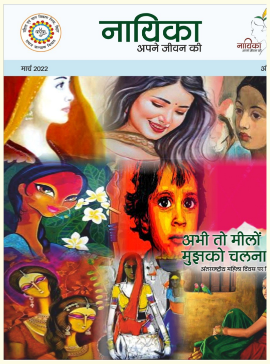

मेरी कलम से...

नायिका यानि नाटक की प्रमुख महिला पात्र। इस पात्र पर नाटक के सफल मंचन की ज़िम्मेदारी होती है और नाटक की सफलता का श्रेय भी उसे ही मिलता है। महिलायें भी अक्सर नायिका के रूप में अपने परिवार की भलाई, भरण पोषण और देखभाल की ज़िम्मेवारी बख़ूबी निभाती है चाहे इसके लिए उसे कितने भी संघर्षो का सामना क्यों न करना पड़े। फर्क बस इतना है की असल ज़िन्दगी में सफलता का श्रेय किसी और को मिलता है और वह परदे के पीछे ही रह जाती है। इसका प्रमुख कारण हमारे समाज की पितृसत्ता आधारित मानसिकता है जो महिलाओं को आगे बढ़कर श्रेय लेने से रोकती है। बचपन से ही लड़का–लड़की की परवरिश और लालन–पालन में भेद कर, लड़कियों को घर के बाहर निकलने पर, पढ़ने पर, नौकरी करने पर पाबन्दी लगा दी जाती है। कभी परिवार की मर्यादा के नाम पर, तो कभी समाज का भय दिखाकर, तो कभी उसे पुरुषों से कमजोर बताकर। पहले पिता और भाई, फिर पति और अंत में बेटे के अधीन बनाकर उसकी इच्छाओं– सपनों और अधिकारों को कुचल दिया जाता है।

गर्डा लर्नर पितृसत्ता को परिभाषित करते हुए कहती हैं कि ''पितृसत्ता, परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति है।'' इसका अर्थ यह नहीं है कि 'महिलाएं या तो पूरी तरह शक्तिहीन हैं या पूरी तरह अधिकारों, प्रभाव और संसाधनों से वंचित हैं।' इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हर पुरुष हमेशा वर्चस्व की और हर महिला हमेशा अधीनता की स्थिति में ही रहती है। बल्कि जरूरी बात यह है कि इसके तहत यह विचारधारा प्रभावी रहती है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ हैं और महिलाओं पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। पुरुष महिलाओं को अपनी संपत्ति के रूप में देखता है और जो महिलाएं इस व्यवस्था का अनुकरण करती है उन्हें कुछ सुविधाओ के साथ मान–सम्मान तमगों से भी नवाजा जाता है। किन्तु जो महिलाएं पितृसत्ता के कायदे–कानूनों व तौर–तरीकों को अपना सहयोग या सहमति नहीं देती हैं, उन्हें पथभ्रष्ट करार दे दिया जाता है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाये गए हैं जिसका उदेशय वैसी सामाजिक संरचनाओं को समाप्त करना है जो लड़का–लड़की में भेदभाव करती है और लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकती है। बाल विवाह, दहेज़ भी ऐसी ही संरचनाएं है जो मानती हैं कि लड़कियों की शादी करने के अलावा, कोई अन्य विकल्प नहीं है। वे शादी की तैयारी के लिए घर के काम–काज़ करें और घरेलू जिम्मेदारियाँ उठाएँ। परन्तु प्रमाण बताते हैं किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए, यह अत्यंत महत्त्वूपर्ण है कि उनका विवाह कानूनी उम्र के बाद हो, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हो, उन्हें सेकेण्डरी स्कूल जाने में सहायता मिले और उनके कौशलों का विकास हो जिससे वे अपनी आर्थिक योग्यता को साकार कर सकें और वह स्वस्थ, उत्पादक और सशक्त व्यस्कों में परिवर्तित हो सकें।

आज जहाँ एक तरफ जरूरत है समाज को, खासकर पुरषों को अपनी पुरानी सोच बदल कर महिलाओं को बराबर मानने और वैसा ही व्यवहार करने की तो दूसरी तरफ महिलाओं को भी नायिका बन अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है।

इल्म हुनर में...दिल दिमाग में
किसी बात में कम तो नहीं, पुरुषों वाले...
सारे ही अधिकारों की अधिकारी है,
कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है
जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है...
बहुत हो चुका...अब मत सहना
तुझे भविष्य को गढ़ना है
नारी को कोई कह ना पाए... अबला है, बेचारी है
कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है
जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है।

हरजोत कौर बम्हरा
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
महिला एवं बाल विकास निगम
बिहार

बिहार की वामाएं

बिहार की परंपराएं शिक्षा और नारी उत्थान से जुड़ी रही हैं। इसका इतिहास उन सुधारकों और आंदोलनकारियों की कथाओं से भरा है जिन्होंने अपने कार्य और आचरण से पूरे विश्व में राज्य का नाम रोशन किया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्य और सेना समेत अन्य मोर्चों पर भी हमारे राज्य की महिलाओं ने देश के सामने जो नजीर पेश की है, यहां हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे।

विंध्यवासिनी देवी

विंध्यवासिनी देवी यानी 'बिहार कोकिला'। मैथिली, भोजपुरी और मगही में गाए उनके लोक गीतों ने विंध्यवासिनी देवी को सबसे ख्यात लोक कलाकारों की श्रेणी में ला दिया। उनका जन्म 1920 को मुजफ्फरपुर में हुआ था और वे लगातार पांच दशकों तक लोक संगीत के पटल पर छाई रहीं। लोक गीतों के प्रसार और उन्हें सम्मान दिलाने के उनके प्रयासों के कारण ही 1974 में उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई अन्य पुरस्कारों के अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी के फेलो के तौर पर भी चयनित किया गया। उनका निधन 2006 में हो गया।

उषा किरण खान

उषा किरण खान मैथिली और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से सृजनशील रही हैं। उषा किरण का जन्म 7 जुलाई 1945 को लहेरियासराय, दरभंगा (बिहार) में हुआ था। उन्होंने संस्कृत, पालि, अंग्रेजी, मैथिली तथा हिंदी के प्राचीन साहित्य का गहन अध्ययन किया है। उत्कृष्ट रचनाओं तथा मैथिली और हिन्दी साहित्य में किए गए उनके योगदान को देखते हुए अन्य कई पुरस्कारों के अलावा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैथिली में ''भामती'' एवं हिंदी में 'सिरजनहार'' के माध्यम से उनका दखल ऐतिहासिक उपन्यासों में भी है। उनकी पहली कहानी इलाहाबाद से निकलने वाली 'कहानी' में प्रकाशित हुई थी।

शारदा सिन्हा

लोकगीतों के लिए मशहूर शारदा सिन्हा ने पूर्वोत्तर के संगीत को काफी ऊंचा मुकाम दिया है। उनका जन्म सुपौल के हुलास में 1952 में हुआ था। उन्होंने अपने गाने की शुरुआत शादी के पारंपरिक गीतों से की थी, लेकिन खुद अपनी ही शादी के बाद उनके लिए गाना गाना मुश्किल हो गया था। उन्होंने ही शादी के पारंपरिक गीतों को आंगन से बाहर निकाला और देश भर में उसे पहचान दिलाई। लेकिन शादी के बाद उनकी सास ने गाने पर पाबंदी लगा दी। जब उन्होंने जिद की तो सास ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था। अपने लोकगीतों के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है।

श्रेया शंकर

बिहार की श्रेया शंकर ने मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स 2019 का खिताब जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। श्रेया के पिता बिग्रेडियर अचलेश शंकर और मां अभिलाषा शंकर हैं। श्रेया का जन्म पटना में हुआ है मगर पिता के सेना में अधिकारी होने के नाते वह देश के विभिन्न हिस्सों में रही हैं। प्रतियोगिता के दौरान सवाल–जवाब सत्र में जब एक सवाल उनसे पूछा गया कि वह कहीं भी साइनिंग स्टार बनने के लिए किन चीजों को जरूरी समझती हैं तो उन्होंने कहा कि जुनून, खुशमिजाजी, अपने काम से प्यार और कड़ी मेहनत। उनकी स्कूली शिक्षा देश के विभिन्न दस स्कूलों में पूरी हुई है।

रुकैया शाखावत हुसैन

भारत में मुस्लिम महिलाओं की आजादी के आंदोलन से अगर किसी को जोड़कर देखा जाता है तो वे हैं रुकैया शाखावत हुसैन। 1880 में रुकैया का जन्म रंगपुर के एक रुढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ था जहां अंग्रेजी शिक्षा को लड़कियों के लिए सही नहीं माना जाता था। 16 साल की उम्र में उनका विवाह भागलपुर के डीएम सैयद शाखावत हुसैन से हुआ जिन्होंने रुकैया को अंग्रेजी पढ़ने और दूसरी मुस्लिम महिलाओं को भी शिक्षित करने का रास्ता दिखाया। पति की मौत के बाद रुकैया ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला।

मंजरी जरूहार

सुश्री मंजरी जरूहार का नाम हर बिहारी गर्व से लेता है, क्योंकि वे भारत की पांच प्रथम महिला पुलिस अधिकारियों में से एक थीं तो बिहार की पहली महिला आईपीएस भी थीं। उनका चयन 1976 में भारतीय पुलिस सेवा में हुआ था उसके बाद से वे बिहार और झारखंड के कई महत्वपूर्ण पदों, नेशनल पुलिस एकेडमी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के वरिष्ठ पदों पर रहीं। अपनी सेवानिवृत्ति के समय वे सीआईएसएफ की स्पेशल डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्य कर रही थीं। मंजरी कहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पुलिस सेवा में आना चाहिए और खुद को, दूसरी महिलाओं को और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का काम करना चाहिए।

भावना कंठ

फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ पहली महिला फाइटर पायलट हैं जिन्हें भारत में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का मौका मिला। बिहार की बेटी भावना कंठ ने 2016 में अपने राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया जब अवनि चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ वे देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनीं। 2019 में उन्होंने मिग–21 बिसोन एयरक्राफ्ट पर अपना डे ऑपरेशनल पाठ्यक्रम भी पूरा कर लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात करते हुए भावना ने कहा था कि बचपन में उन्हें नहीं पता था कि औरतें फाइटर पायलट नहीं बन सकती थीं।

ज्योति कुमारी

ज्योति वो लड़की है, जो 2020 में लगे लॉकडाउन में बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा स्थित अपने गांव (करीब 1200 किलोमीटर) 8 दिन में पहुंची थी। ज्योति के पिता मोहन पासवान दिल्ली में रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालते थे। एक हादसे में उनका घुटना टूट गया। परिवार इस संकट से उबर पाता इससे पहले ही लॉकडाउन लग गया। पैसे और राशन खत्म हो गए तो भूखे मरने की नौबत आ गई। तब 13 साल की ज्योति अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गांव ले आई थी।

उषा झा

''उद्यमी बनने का सपना मेरे अंदर कहीं बचपन से ही दबा था। मैं अपने और दूसरों के लिए कुछ करना चाहती थी।'' उद्यमी होने के साथ–साथ समाज के लिए कुछ करने का यह बोध उषा झा को जबसे ठीक से समझ आने लगा तबसे वे एक दिन के लिए भी नहीं रुकीं। मिथिलांचल से आने वाली उषा झा ने मिथिला पेंटिंग को अपना जुनून बना लिया और पटना में अपनी संस्था 'पेटल क्रॉफ्ट' शुरू की जिसमें आज 300 से अधिक महिलाएं मिथिला पेंटिंग पर काम कर रही हैं और अपनी जीविका चला रही हैं। अमेरिका और यूरोप में इन पेंटिंग की बड़ी मांग है।

विश्व पटल पर छाईं महिला कलाकार

एक समय में घर की दीवारों और आंगन पर रंगोली की तरह बनाई जाने वाली मधुबनी पेंटिंग को आज विश्वविख्यात बनाने में कई कलाकारों का योगदान रहा है जिसमें से कुछ की चर्चा हम यहां कर रहे हैं।

जगदम्बा देवी

जदगम्बा देवी अपनी मधुबनी चित्रकला के लिए साल 1970 में राष्ट्रीय सम्मान और 1975 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कलाकार थी। 1962 में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के कला पारखी जब कलाकारों का चयन करने के लिए मधुबनी पहुंचे तो उन चुने गए पांच कलाकारों में से एक जगदम्बा देवी भी थीं। उनके कुछ चित्रों को साबरमती आश्रम तो कुछ को विदेशों में भी संग्रहित किया गया है। उनके अधिकतर चित्र पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं।

सीता देवी

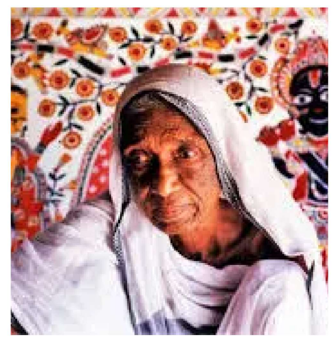

जितवारपुर गांव की सीता देवी मधुबनी कला की एक अग्रणी कलाकार थीं, 1960 के दशक में उन्हें उनकी मधुबनी पेंटिंग के लिये व्यक्तिगत रूप से पहचान मिली। वह मिथिला कला को घर की दीवारों और आंगन से कागज़ और कैनवास तक स्थानांतरित करने वाली पहली कलाकार मानी जाती हैं। उनकी कृष्ण–राधा व अन्य देवी–देवताओं की पेंटिंग को सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली। एक कलाकार के रूप में सीता देवी ने लाल बहादुर शास्त्री, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी आदि से अपनी अद्भुत कला के लिए प्रशंसा पाई। साल 1981 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इसके बाद 1984 में बिहार रत्न भी दिया गया।

महासुंदरी देवी

साल 1961 में महासुंदरी देवी ने खुद को चारदीवारी से निकालकर मधुबनी पेंटिंग की ओर अपने कदम बढ़ाए और खुद को सशक्त बनाकर आनेवाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनीं। महासुंदरी देवी को सिक्की वर्क, सुजनी क्राफ्ट और क्ले वर्क में विशेष रूप से महारथ हासिल थी। साल 1982 में उन्हें कला के प्रति समर्पण के लिये राष्ट्रपति से मान्यता मिली और 2011 में महासुंदारी देवी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने मिथिला हस्तिशिल्प कलाकार औद्योगिकी साहित्य समिति की स्थापना भी की।

बउआ देवी

बउआ देवी महज़ 13 साल की उम्र से ही मधुबनी चित्रकला बनाती आ रही हैं और इस चित्रकला में उन्हें लगभग 60 वर्ष हो चुके है। बउआ देवी जापान के मिथिला म्यूजियम में भी 11 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी है और मिथिला पेंटिंग से जुड़े दुनिया के हर मंच पर उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। साथ ही उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। उनका पूरा परिवार भी मिथिला पेंटिंग को समर्पित है।

मालविका राज

मधुबनी कला जो परंपरागत रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं से प्रचलित दृश्यों को प्रदर्शित करने के लिये प्रचलित हैं। बिहार के समस्तीपुर की दलित महिला कलाकार मालविका राज ने बुद्ध के समय के लोकगीतों को चित्रित करके इस शैली में सालों से चली आ रही पारंपरिक प्रथा में विशेष रूप से बदलाव लाने का काम किया। द हिंदू के साथ अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने दलित महिलाओं के रुके हुए विकास को लेकर अपनी चिन्ता व्यक्त की और कहा, "मैं एक नारीवादी हूं और मैं महिला सशक्तिकरण का पुरजोर समर्थन करती हूं।

रोल मॉडल्स बनाएं और उन्हें सेलिब्रेट करें

जेंडर समानता की मिसाल है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री : भूमि पेडणेकर

महिला दिवस के करीब आते ही महिला सशक्तिकरण की बातें जोर–शोर से उठने लगती हैं। मेरे ख्याल से आज की तारीख में महिलाएं ऐसी स्थिति में आ चुकी हैं, जहां कह सकते हैं कि हम उनके सशक्तिकरण की ओर बढ़ चुके हैं। इसका श्रेय हमारे पहले की पीढ़ियों को भी जाता है। ऐसी बहुत–सी महिलाएं हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी ताकि हम औरतों को एम्पॉवर कर पाएं। उनके प्रयासों का मीठा फल आज की पीढ़ी खा रही है। आगे आने वाली पीढ़ियां भी हमारी मेहनत का फल खाएंगी। आज की तारीख में हम–आप देख रहे हैं कि बहुत सी औरतें प्लेस ऑफ पॉवर में हैं। अब आप औरतों को सीईओ, सीओओ, सीएफओ के रोल में नियमित रूप से देखते हैं। आज हमारे पास ज्यादा तादाद में ऐसी औरतें हैं, जो फिल्में डायरेक्ट करती हैं। बतौर एक्टर ही देखें तो जो कहानियां अब हमें मिलती हैं, उनमें बहुत सारी महिला केंद्रित आने लग गई हैं। यकीनन मुझे मेल–सेंट्रिक या फीमेल–सेंट्रिक जैसे शब्दों का उपयोग करना पसंद नहीं है, मगर आशा यही है कि हम ऐसा समाज बनाएं, जहां सीईओ का पद हो या डायरेक्टर की पोस्ट, हम उन्हें ये नहीं कहें कि वे मेल हैं या फीमेल।

हम एक इंडिविजुअल को उनकी काबिलियत के लिए ही पहचानें। इस संदर्भ में जो हमारी युवा पीढ़ी है, खासकर नए भारत की जो यंग और इंडिपेंडेट लड़कियां हैं– उन पर अगर शादी करने या पढ़ाई जारी न रखने का दवाब बनाया जाता हो या इंडिपेंडेट लाइफ न जी पाने या अपने सपनों को पूरा न कर पाने की दुश्वारी आती हो– तो ऐसी सूरत में वो सब चुनौतियों का सामना कर रही हैं। वो मुंह नहीं छुपा रही हैं। उनमें ये कुव्वत इसलिए भी आई है कि हमने शिक्षा से उनको एम्पॉवर किया है। हालांकि अभी लंबा रास्ता तय करना है पर आगाज तो हो चुका है। सरल शब्दों में कहूं तो आर्थिक आजादी बहुत बड़ा तरीका है महिला सशक्तिकरण का। बाकी हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक मिसाल तो है ही। मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में बाकी सेक्टर के मुकाबले ज्यादा समानता है। यह कड़वा सच जरूर है कि यहां भी पे–डिस्पैरिटी बहुत है, लेकिन उसके अलावा जो यहां सुरक्षा का भाव है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। हमारी इंडस्ट्री में अलग–अलग पदों पर इतनी महिलाएं काम करती हैं, जूनियर आर्टिस्ट से लेकर हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट और सीनियर ऑफिसर तक, हर जगह यहां बड़ी तादाद में महिलाएं हैं। एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक सेटअप है। मैं कह सकती हूं कि फिल्म इंडस्ट्री औरतों के लिए बहुत सुरक्षित जगह है। बाकी सेक्टर्स हमारी इंडस्ट्री से काफी कुछ सीख सकते है। जैसे अब हमारे पास महिला सिनेमैटोग्राफर्स भी हैं। यानी इस सेक्टर में हम जेंडर के आधार पर भेद करना काफी पीछे छोड़ चुके हैं। कितनी ही कहानियां औरतों के इर्द–गिर्द हैं। कई बार हमारे शिफ्ट की टाइमिंग ऐसी होती हैं कि महिलाएं लेट नाइट घर पहुंचती हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसा माहौल बनाया है, जहां वो सुरक्षित महसूस करती हैं। उन्हें डर के साए में नहीं रहना पड़ता है। अभी भी ढेर सारे सेक्टर्स में औरतों की हिस्सेदारी में इजाफे की दरकार है। जब तक इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता और जेंडर के बजाय आप की योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक बहुत लंबा रास्ता होगा तय करने को। खासकर, छोटे शहरों और बड़े शहरों के मामलों में एक अंतर तो है। मैंने ज्यादातर छोटे शहरों की कहानियों में भूमिकाएं निभाई है। यह बात सच है कि बड़े और छोटे शहरों में औरतों का स्ट्रगल अलग है। बड़े शहरों के परिवारों में खुलापन होता है, पर उनके भी संघर्ष हैं। छोटे शहरों में जरूर अभी भी यह देखने को मिलता है कि एक औरत की भूमिका बस उसे बड़ा कर उसकी शादी कर देने भर तक मानी जाती है। इस लिहाज से छोटे शहरों की लड़कियों में जो सम्भावनाएं हैं, उन्हें वहां तक पहुंचने का मौका नही मिल पाता है। हालांकि यह बदल रहा है। मुझे लगता है छोटे शहर की लड़कियों में बहुत हिम्मत होती है। वो लड़कर ऊंचे मुकाम तक पहुंचती हैं। यह तो बल्कि बहुत मुश्किल काम होता है कि घर की ग्रॉसरी से लेकर कारपेंटर, कुक, क्लीनर, बच्चों की टीचर, डॉक्टर, नर्स सबकी भूमिकाएं साथ में निभा लेना। फिर भी अगर आपके भीतर थोड़ा भी स्पार्क हो कि बाहर जाकर आप वित्तीय आजादी हासिल करना चाहती हैं तो डरिए मत। बेटियां मां–बाप का ख्याल बेटे की तरह रख सकती हैं। घर चला सकती हैं। इस सोच को लाने के लिए हमें रोल मॉडल्स बनाने होंगे। साथ ही जो रोल मॉडल्स हैं, उन्हें और सेलिब्रेट करना होगा। ताकि हर घर के लोग समझें कि जो युवतियां रोल मॉडल्स बनी हैं, उनके जितने मौके अगर बाकी घरों के लोग भी अपनी बहू–बेटियों को दें तो वो भी रोल मॉडल बनेंगी।

दैनिक भास्कर से साभार

सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा पर सर्वाधिक व्यय

जेंडर बजटिंग : महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल

जब तक विकास कार्यक्रमों में महिलाएं समान रूप से लाभान्वित नहीं होती हैं तब तक व्यापक विकास हासिल नहीं किया जा सकता। महिलाओं का सशक्तिकरण ऐसी प्रक्रिया है जो उनके द्वारा जीवन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण संभावनाओं के साथ अपने अधिकारों की मांग करने का कारण बनती है। इस उपलब्धि को चुनने की आजादी और सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता का साथ मिलना चाहिए।

आठवीं योजना (1992–97) के दौरान पहली बार महिलाओं के सशक्तिकरण को मान्यता दी गई और भिन्न रणनीति के बतौर स्वीकार किया गया। नवीं योजना (1997–2002) में महिला घटक योजना की अवधारणा शुरू करने के जरिए इसे और भी आगे बढ़ाया गया जिसके जरिए चिह्नित मंत्रालयों के लिए जरूरी हो गया कि वे महिलाओं के कार्यक्रमों के लिए धनराशि के प्रवाह की जानकारी दें। बाद में बारहवीं योजना (2012–17) में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के जरिए योजना निर्माण की प्रक्रिया में लैंगिक समानता पर काम के लिए मुख्य सूचकों की पहचान की गई। चूंकि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण एजेंडा हैं इसलिए राज्य सरकार 2013–14 से ही जेंडर बजट प्रकाशित करती रही है। साथ ही, 2015 में महिला एवं बाल विकास निगम (डब्ल्यू.सी.डी.सी.) के एक कोषांग लैंगिक संसाधन केन्द्र को जेंडर बजट निर्माण के लिए नोडल अभिकरण बनाया गया।

सात वर्षों (2013–14 से 2019–20) के लिए जेंडर बजट का अवलोकन तालिका में प्रस्तुत है। तालिका से पता चलता है कि 2013–14 से 2019–20 के बीच महिलाओं पर कुल व्यय 4.5–गुना बढ़ा है। इसी अवधि में श्रेणी 1 के तहत व्यय 4.7–गुना और श्रेणी 2 के तहत 4.3–गुना बढ़ा है। वर्ष 2020–21 में कुल राज्य बजट में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा 16.0 प्रतिशत था। वहीं, 2020–21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में महिलाओं के लिए कुल परिव्यय 3.7 प्रतिशत था।

महिलाओं की योजनाओं पर कुल व्यय (2013–14 से 2019–20)

(रकम करोड़ रू. में)

वर्ष	बिहार का बजट	जेंडर बजट (वास्तविक)			कुल बजट में महिला विशिष्ट योजनाओं का हिस्सा (%)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	महिला विशिष्ट योजनाओं के लिए परिव्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % में
		श्रेणी–1	श्रेणी–2	योगफल			
2013–2014	80405.2	1730.0	3435.2	5165.1	6.4	343662.8	1.5
2014–2015	94698.0	3390.7	4499.1	7889.8	8.3	402283.0	2.0
2015–2016	112328.0	3113.5	6784.9	9898.4	8.8	487316.0	2.0
2016–2017	126302.0	5980.4	7117.7	13098.1	10.4	540556.0	2.4
2017–2018	136427.0	3073.0	10878.6	13951.5	10.2	487628.0	2.9
2018–2019	154655.1	7919.7	142023.8	21943.5	14.2	515634.0	4.3
2019–2020	143613.7	8169.9	14868.6	23038.5	16.0	617153.0	3.7

स्त्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

महिला विकास पर व्यय का ब्योरा (2017–18 से 2019–20) (करोड़ रू. में)

विभाग	2017–18		2018–19		2019–20	
	श्रेणी–1 के तहत	श्रेणी–2 के तहत	श्रेणी–2 के तहत	श्रेणी–1 के तहत	श्रेणी–2 के तहत	श्रेणी–1 के तहत
समाज कल्याण	520.4	1396.9	2475.6	895.4	3395.7	765.2
अजा एवं अजजा कल्याण	0.0	250.3	370.1	0.0	387.7	0.0
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	0.0	566.8	649.1	0.0	483.0	0.0
अल्पसंख्यक कल्याण	0.0	89.5	59.7	0.0	61.5	1.7
शिक्षा	572.7	5341.3	5700.1	439.3	5317.0	599.5
स्वास्थ्य	455.0	914.5	1007.5	622.6	1193.5	740.3
ग्रामीण विकास	1458.6	1004.7	1915.6	5877.6	1997.7	5911.5
नगर विकास एंव आवास	0.0	38.1	141.5	0.0	356.3	0.0
पंचायती राज	0.0	200.1	203.4	0.0	129.2	0.0
श्रम संसाधन	6.2	0.0	97.3	6.4	128.0	8.9
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	11.1	342.8	592.0	11.0	631.9	12.8
राजस्व एवं भूमि सुधार	2.6	0.0	0.0	1.4	0.0	40.6
कला, संस्कृति एवं युवा कार्य	0.0	11.3	8.7	0.0	9.3	0.0
उद्योग	0.0	131.2	13.8	0.0	9.3	0.0
कृषि	0.0	375.4	413.7	0.0	443.1	0.0
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	46.5	0.0	0.0	65.7	0.0	89.3
भवन निर्माण	0.0	153.5	217.2	0.0	120.5	0.0
गृह	0.0	41.0	137.1	0.4	107.3	0.3
पर्यटन	0.0	21.2	21.4	0.0	10.0	0.0
योगफल	**3073.0**	**10878.6**	**14023.8**	**7919.7**	**14868.6**	**8169.9**

स्त्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

फोटोः गूगल

जेंडर बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार में सभी विभागों को लैंगिक लिहाज से अधिक जागरूक बनने और लैंगिक परिप्रेक्ष्य में अपने बजट की जांच करना है। इसके कारण धीरे–धीरे महिलाओं के लिए विशेष रूप से बने कार्यक्रमों के लिए बजट की प्राथमिकता और लैंगिक चिंताओं के प्रति सार्वजनिक व्यय से अधिक अनुक्रियाशील बनाने के प्रयास बढ़ते चले जाएंगे। जेंडर बजट बनाने के लिए पूरी तरह महिलाओं के लिए बनी योजनाओं को श्रेणी–1 (100 प्रतिशत महिला संबंधी कार्यक्रम) में रखा जाता है। वहीं, अन्य कार्यक्रमों के लिए माना जाता है कि उनके कम से कम 30 प्रतिशत व्यय से महिलाओं को फायदा होगा, और श्रेणी–2 में वर्गीकृत किया जाता है। तालिका में विभिन्न विभागों के तहत जेंडर बजट के मद प्रस्तुत किए गए हैं। यहां भी 2018–19 की अपेक्षा 2019–20 में श्रेणी–1 और श्रेणी–2, दोनों के लिए व्यय बढ़ता दिखता है। तालिका से यह भी पता चलता है कि समाज कल्याण, शिक्षा ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य ऐसे चार प्रमुख विभाग हैं जिनके जरिए महिलाउन्मुखी कार्याक्रमों का क्रियान्वयन होता है।

लैंगिक असमानता से निपटने के लिए किए जाने वाले राज्य सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों को दो मुख्य शीर्षों में समेटा जा सकता है: बाल रक्षा (लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने और उनकी भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना) तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा (लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कन्या विवाह योजना और नारी शक्ति योजना)। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य लड़कियों के जन्म और जन्म का निबंधन को बढ़ावा देना तथा उनकी भ्रूणहत्या और लैंगिक असंतुलन को रोकना है। योजना 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लड़की के जन्म के समय उसकी मां/पिता/अभिभावक के खाते में 2000 रू. अंतरित कर दिए जाते हैं और एक वर्ष पूरा होने तथा आधार के निबंधन के बाद उस बैंक खाते में 1000 रू. और अंतरित किए जाते हैं। वहीं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लक्ष्य 60,000 रू. से कम मासिक आय वाले परिवारों को लड़की के विवाह के समय मदद करना है। इस कार्यक्रम के तहत लड़कियों की शिक्षा और विवाह के निबंधन को बढ़ावा दिया जाता है तथा बाल विवाह का निषेध किया जाता है। इसके तहत लड़की को प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए बैंक खाते में 5,000 रू. दिए जाते हैं। इसी प्रकार, अन्य दो योजनाओं के जरिए भी वित्तीय संरक्षण और नैतिक समर्थन के जरिए सामाजिक और आर्थिक चिंताएं दूर करने का काम किया जाता है। तालिका में दिखता है कि 2019–20 में चारों लैगशिप योजनाओं में से लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर सर्वाधिक 74.3 प्रतिशत व्यय किया गया। वर्ष 2016–17 से 2020–21 के बीच इन अग्रणी योजनाओं पर व्यय में 58.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

महिला सशक्तिकरण की स्थिति का मूल्यांकन तीन मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है– आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इनमें से प्रत्येक घटक का अपना महत्व है और तीनों मिलकर महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं।

(बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 से साभार)

लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली योजनाएं (2016–17 से 2021–22) (करोड़ में)

योजना	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	213.86	260.47	281.83	300	329.5	107.64
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	24.6	61.52	66.17	20.46	0	21.45
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	21.59	38.16	46.51	40.37	29.84	2.56
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना	–	–	96.72	42.73	52	0
योगफल	**260.05**	**360.16**	**491.23**	**403.56**	**411.34**	**131.65**

स्त्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

एनएफएचएस–5: आंकड़े और परिस्थितियां

- ➯ कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों में समय से पहले बच्चे पैदा करने का जोखिम होता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए घातक है।
- ➯ महिलाओं के खिलाफ हिंसा, विशेष रूप से घरेलू या पति–पत्नी के बीच हिंसा महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

सतत विकास लक्ष्य (5.3–सभी अनैतिक प्रथाओं जैसे कि बाल विवाह और जबरन विवाह) में लैंगिक समानता एक लक्ष्य के तौर पर मूलभूत रूप से शामिल है और वर्ष 2030 तक बाल विवाह की अनैतिक प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाल विवाह की मानक परिभाषा के अनुसार, इसे न्यूनतम अनुमेय आयु प्राप्त करने से पहले एक बच्चे के विवाह या संघ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि देशों के स्थानीय मानदंडों के अनुसार भिन्न होता है।

अध्ययनों से पता चला है कि कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों में समय से पहले बच्चे पैदा करने का उच्च जोखिम होता है और स्पष्ट रूप से मातृ और बाल रुग्णता के लिए उच्च जोखिम रखता है। उच्च जोखिम वाले प्रसव और संबंधित जटिलताएं मां और बच्चों दोनों के जीवन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं। कम उम्र में शादी करने वाली मां से नवजात शिशुओं में जन्म के समय कम वजन, कुपोषण और मां और बच्चे दोनों के लिए मृत्यु का जोखिम होता है। कम उम्र की लड़कियों के शैक्षिक परिणाम सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। युवा दुल्हनों पर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते है। बाल विवाह का मुद्दा भारत और बिहार राज्य दोनों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। बिहार में स्थापित कानूनी उम्र से पहले शादी करने वाली लड़कियों की संख्या 40.8 फीसदी (एनएफएचएस –5) के मामले के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि राष्ट्रीय औसत के साथ अंतर लगभग दोगुना है (भारत – 23.3% (NFHS–5)।

कम उम्र में शादी के कारण बुनियादी मानवाधिकारों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और शिक्षा के साथ सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार से आसानी से वंचित कर दिया जाता है। वे जीवन भर हिंसा, मानसिक और शारीरिक शोषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बिहार राज्य में लड़कियों/महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से संबंधित विभिन्न संकेतकों की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है।

महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक लिंग अनुपात है जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है। कुल जनसंख्या के लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाओं का सुधार हुआ है, लेकिन जन्म के समय के संकेतक में सुधार की संभावना बची हुई है। बिहार के लिए एसआरबी के आंकड़े प्रति 1000 पुरुष बच्चे पर 908 बच्चियां हैं।

शिक्षा में लैंगिक असमानता

यह देखा गया है कि स्कूल में प्रारंभिक नामांकन दर 6–17 वर्ष के बच्चों के लिए कुल मिलाकर 85% है। 6–14 आयु वर्ग में कोई महत्वपूर्ण लैंगिक असमानता नहीं देखी गई है लेकिन 15–17 वर्षों में स्थिति काफी भिन्न है। स्कूल में उपस्थिति में लैंगिक असमानता का एक महत्वपूर्ण स्तर 15–17 वर्ष के आयु वर्ग में देखा गया है जहाँ 73 प्रतिशत लड़कों की तुलना में केवल 67 प्रतिशत लड़कियां ही स्कूल जा रही हैं।

पहली शादी में औसत आयु

पहली शादी की औसत आयु 20–49 वर्ष की महिलाओं में 17.4 वर्ष, 25–29 आयु की महिलाओं में 17.7 वर्ष और 25–49 वर्ष की महिलाओं

में 17.0 वर्ष है। 20–24 वर्ष की आयु की पांच में से दो (41%) महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी न्यूनतम आयु प्राप्त करने से पहले हो गई।

प्रजनन रुझान

बिहार के लिए कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर) में पिछले वर्ष के दौरान उल्लेखनीय सुधार हुआ है अर्थात एनएफएचएस में 4 में 3.4 से और एनएफएचएस 5 में 3.0 पर है। हालांकि यह अभी भी 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचना बाकी है। वर्तमान प्रजनन दर पर, बिना स्कूली शिक्षा वाली महिलाओं के स्कूली शिक्षा के 12 या अधिक वर्षों वाली महिलाओं की तुलना में औसतन 1.6 अधिक बच्चे होंगे (2.2 की तुलना में 3.8 का टीएफआर)।

प्रारंभिक/किशोर गर्भावस्था रुझान

एनएफएचएस बाल विवाह से गर्भावस्था के परिणामों पर जरूरी प्रकाश डालता है। 15–19 आयु वर्ग की उन महिलाओं के मामलों में 1% की मामूली गिरावट देखी गई जो या तो गर्भवती थीं या जिनके बच्चे थे। (एनएफएचएस 5–11% और एनएफएचएस 4–12%)। इसी तरह, जिन महिलाओं ने बच्चे को जन्म देना शुरू किया है, उनका अनुपात 17 वर्ष की आयु में 6 प्रतिशत से 18 वर्ष की आयु की महिलाओं में 17 प्रतिशत और 19 वर्ष की आयु की महिलाओं में 37 प्रतिशत हो गया है। जिन युवतियों ने स्कूली शिक्षा नहीं ली थी, उनमें 12 या अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा (8%) वाली युवा महिलाओं के रूप में तीन गुना (25%) से अधिक बच्चे पैदा करने की संभावना है।

प्रजनन प्राथमिकताएं

बिहार में बेटों को तरजीह दी जाती है। लगभग एक तिहाई (31%) महिलाएं और एक चौथाई (22%) से भी कम पुरुष बेटियों की तुलना में अधिक बेटे चाहते हैं। अधिक बच्चों की महिलाओं की इच्छा उनके वर्तमान पुत्रों की संख्या से बहुत अधिक प्रभावित होती है।

महिला सशक्तिकरण

मासिक धर्म की एक स्वच्छ विधि का उपयोग करना महिलाओं के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में, 42 प्रतिशत सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करते हैं, 67 प्रतिशत कपड़े का उपयोग करते हैं, 17 प्रतिशत स्थानीय रूप से तैयार नैपकिन का उपयोग करते हैं, और 2 प्रतिशत टैम्पोन का उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर, 15–24 वर्ष की आयु की 59 प्रतिशत महिलाएं मासिक धर्म की सुरक्षा के लिए एक स्वच्छ विधि का उपयोग करती हैं, जो एनएफएचएस 4 में 31 प्रतिशत से अधिक है। विशेष रूप से, शहरी महिलाओं की 75 प्रतिशत की तुलना में केवल 56 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं मासिक धर्म की सुरक्षा की एक स्वच्छ विधि का उपयोग करती हैं।

रोजगार और कमाई

सर्वेक्षण से पहले के 12 महीनों में 75 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 15–49 आयु वर्ग की सभी महिलाओं में से केवल 18 प्रतिशत ही कार्यरत थीं। एक चौथाई (23%) से कम कार्यरत महिलाओं को बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया। नियोजित महिलाओं का एक बड़ा बहुमत (94%) गैर–कृषि व्यवसायों में काम करता है।

निर्णय लेना

महिलाओं के अपने स्वयं के स्वास्थ्य देखभाल (81%) के निर्णयों में भाग लेने की संभावना कुछ हद तक अपने परिवार और रिश्तेदारों के दौरे के निर्णयों और प्रमुख घरेलू खरीद (प्रत्येक में 78%) के निर्णयों की तुलना में अधिक होती है। कुल मिलाकर, वर्तमान में विवाहित महिलाओं में से 71 प्रतिशत इन तीनों निर्णयों में भाग लेती हैं, और 14 प्रतिशत तीन निर्णयों में से कोई भी निर्णय लेने में भाग नहीं लेती हैं।

महिला सशक्तिकरण के अन्य संकेतक

49% महिलाएं अपने पैसे का उपयोग खुद तय कर सकती हैं। ग्रामीण (47%) महिलाओं की तुलना में शहरी (56%) में महिलाओं का अनुपात अधिक है, जिनके पास पैसा है कि वे इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उम्र के साथ तेजी से बढ़ता है, 12 या अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा (55%) वाली महिलाओं में बहुत अधिक है।

घरेलू हिंसा

विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, विशेष रूप से घरेलू या पति–पत्नी की हिंसा, एक प्रमुख सार्वजनिक और नैदानिक स्वास्थ्य समस्या है और महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जो महिलाओं के खिलाफ लैंगिक असमानता और भेदभाव के पैमाने को भी दर्शाता है। शारीरिक, मानसिक, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर हिंसा के परिणाम अक्सर जीवन भर चलते हैं।

18–49 आयु वर्ग की 39% महिलाओं ने कभी शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है, और 8 प्रतिशत ने यौन हिंसा का अनुभव किया है। कुल मिलाकर, 40 प्रतिशत ने शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया और 7 प्रतिशत ने शारीरिक और यौन हिंसा दोनों का अनुभव किया। 15 साल की उम्र से शारीरिक हिंसा का अनुभव करने वाली विवाहित महिलाओं के लिए सबसे आम अपराधी वर्तमान पति (95%) था। बिहार में 18–49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं में से दो–पांचवें (42%) से अधिक ने शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।

गर्भावस्था के दौरान हिंसा

18–49 आयु वर्ग की तीन प्रतिशत महिलाएं जो कभी गर्भवती हुई हैं, उन्होंने कभी भी अपनी एक या अधिक गर्भधारण के दौरान शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है।

वैवाहिक हिंसा

18–49 वर्ष की आयु की 39% अविवाहित महिलाओं ने अपने पति द्वारा की गई किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है, 8 प्रतिशत ने अपने पति द्वारा की गई किसी भी प्रकार की यौन हिंसा का अनुभव किया है, और 17 प्रतिशत ने अपने द्वारा की गई किसी भी प्रकार की भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया है। कुल मिलाकर, 40 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने अपने वर्तमान पति से शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।

पति–पत्नी की हिंसा सभी समूहों में व्याप्त है। यद्यपि अधिक शिक्षित महिलाओं में पति–पत्नी की हिंसा कम है, लेकिन 10 में से 3 महिलाओं ने कम से कम 12 या अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा प्राप्त की है, जिन्होंने भावनात्मक, शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है। यदि पति अक्सर शराब पीता है (84%), 5–6 वैवाहिक नियंत्रण व्यवहार (72%) प्रदर्शित करता है, कभी–कभी शराब पीता है (61%), और यदि पति की स्कूली शिक्षा 5 वर्ष से कम है, तो महिलाओं में वैवाहिक हिंसा का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है (51%)।

पति–पत्नी की हिंसा के प्रासंगिक और अंतर–पीढ़ीगत पहलू इस तथ्य से स्पष्ट हैं कि जिन महिलाओं की माताओं को उनके पिता ने पीटा था, उन महिलाओं की तुलना में स्वयं अपमानजनक विवाह में होने की संभावना लगभग दोगुनी होती है, जिन महिलाओं को उनके पिता ने पीटा नहीं था।

मदद मांगना

अवांछित स्थितियों को कम करने के लिए समय पर मदद मांगना महत्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि 18–49 वर्ष की आयु की केवल 11 प्रतिशत महिलाएं जिन्होंने कभी शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया, उन्होंने मदद मांगी। 82% से अधिक महिलाओं ने कभी मदद नहीं मांगी और कभी किसी को नहीं बताया।

निष्कर्ष

एनएफएचएस के निष्कर्ष नीतिगत निर्णय लेने और बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए अत्यंत दृढ़ विश्वास के साथ महत्वपूर्ण रूप से प्रासंगिक हैं। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय युवा नीति और राष्ट्रीय किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य रणनीति, जिसमें स्पष्ट रूप से विवाह में उम्र में देरी और पहले बच्चे को गर्भ धारण करने की उम्र की वकालत की गई है, को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसी तरह बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाओं को बेहतर कवरेज के साथ अधिक बल के साथ लागू करने की आवश्यकता है।

संकलन–कुमार राजेश (एसपीएम (एमएंडई)) डब्ल्यूसीडीसी

बनाई अलग पहचान और पाया सम्मान

साधारण और कभी–कभी तो विपरीत परिस्थितियों से निकलकर भी महिलाओं ने अलग–अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। कृषि हो या मधुमक्खी पालन या फिर मशरूम उत्पादन, औरतों ने हर जगह अपना मुकाम हासिल किया है। यहां कुछ ऐसी ही कर्मशील औरतों के संघर्ष को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है।

शांति देवी — बेगूसराय, बिहार

शांति देवी एक निरक्षर महिला हैं जिनके पास जीविका का एकमात्र साधन खेती है। उन्हें अहसास हुआ कि पारंपरिक खेती में अत्यधिक लागत के बाद भी मुनाफा काफी कम होता है। इसलिए करीब 9–10 साल पहले उन्होंने कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों की सलाह पर मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। अपने दर्जी के काम को करते हुए शांति देवी ने इटालियन मधुमक्खियों (एपीस मेलिफेरा) की 11 कॉलोनियों के साथ इस काम को शुरू किया। उनके इस काम में मदद देने और समस्याओं के समाधान के लिए केवीके के वैज्ञानिक लगातार उन तक पहुंचते रहे। केवीके की सलाहों का उन्होंने दृढ़ता से पालन किया और आज वे बेगूसराय की प्रमुख शहद आपूर्तिकर्ताओं में से एक हैं। वर्तमान में उनके पास 200 कॉलोनियां बहुत अच्छी स्थिति में हैं और उनसे उन्हें करीब 130 क्विंटल शहद तथा हर साल 2 से 3 लाख तक की कमाई हो जाती है।

पीली साड़ी औरतें — भाजीगुडा, उड़ीसा

करीब एक साल पहले उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों से निकलकर आंध्र प्रदेश के ईंट भट्टों में काम करने के लिए निकलीं औरतों, बच्चों और मर्दों के वहां बंधुआ मजदूर और गुलाम बनाए जाने की खबरें आई थीं। जिन्होंने भागने की कोशिश की उन्हें यातनाएं दी गईं और उनके हाथ काट दिए गए थे ताकि दूसरे लोग उनकी तरह भागने की कोशिश न कर पाएं।

इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं सहायता समूह के एक दल ने प्रतिमा ऑर्गेनिक उत्पादक समूह के वीके पति के साथ मिलकर अपनी खुद की ईंट भट्टी शुरू करने के लिए काम किया और इसके लिए बैंक से 33 हजार का लोन लिया। आज वे गरीबों के लिए आवास बनाने वाली केन्द्र सरकार की इंदिरा आवास योजना के लिए ईंटों की आपूर्ति करती हैं और केवल शुरुआती चार महीनों में ही इस पहल ने एक लाख तक की कमाई कर ली है। इन महिलाओं को ईंट बनाने की ट्रेनिंग दी गई है ताकि वे उन दिनों में भी अतिरिक्त कमाई कर सकें जब वे कपास की खेती नहीं कर होती हैं।

शोभना — वायनाड, केरल

फेयरट्रेड किसानों का नाम लें तो केरल के वायनाड की शोभना का नाम आ ही जाता है। बीजों की किस्मों पर काम कर रहीं शोभना के लिए जेंडर समानता का बड़ा महत्व है। वे और उनका समूह जैव विविधता के संरक्षण को लेकर काम कर रहा है और इस काम के लिए वे अलग–अलग गांवों का दौरा करती हैं। जेंडर समानता की व्याख्या वे इस तरह करती हैं, ''मैं अपने काम की वजह से घर से बाहर हूं और मेरे पति घर पर बच्चों को संभाल रहे हैं, मेरे लिए यही जेंडर समानता है।'' शोभना और उनके साथियों ने एक बीज बैंक की स्थापना भी की है। हर बीज मेले में वे मिर्च और अन्य फसलों की 26 अलग–अलग किस्मों को लेकर आते हैं।

कृषि नारी

पुष्पा झा — दरभंगा, बिहार

पुष्पा झा दरभंगा में मशरूम लेडी के नाम से भलीभांति परिचित हैं। जब उनकी भाादी हुई तो वे सिर्फ दसवीं पास थीं, उसके बाद उन्होंने आईएससी की परीक्षा पास की लेकिन वे अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थीं। 2010 में पुष्पा कृषि विज्ञान केन्द्र के संपर्क में आईं और उन्हें विश्वविद्यालय में दी जाने वाली 6 दिनी मशरूम उपादन प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में पता चला। केवीके, जाले और यूनिवर्सिटी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत छोटे से जगह में मशरूम की खेती करना शुरू किया क्योंकि उनके पास नाम मात्र की ही जमीन थी। शुरू–शुरू में उन्हें 10 से 15 हजार रूपए प्रतिवर्ष के हिसाब से आय होती थी। लेकिन जल्दी ही उन्हें इस खेती की संभावनाओं के बारे में ज्ञान हो गया और घर में रहकर मशरूम की खेती करने की सुविधा के कारण उन्होंने धीरे–धीरे इस काम का विस्तार किया और इसे बड़े क्षेत्र में करने लगीं जिससे क्रमशः उनकी आमदनी में भी वृद्धि होने लगी। खेती के लिए स्पॉन की जरूरत के लिए उन्होंने इसका प्रशिक्षण भी लिया। उन्होंने स्पॉन उत्पादन को कई गुना तक बढ़ा दिया जिससे न केवल उनकी खेती की जरूरत पूरी हो जाती थी बल्कि वे इन्हें दूसरे उत्पादकों को बेचने भी लगीं। मशरूम और स्पॉन उत्पादन में उनकी विशेषज्ञता और समर्पण को देखते हुए केवीके, जाले और विश्वविद्यालय प्रायः उन्हें प्रशिक्षक के तौर पर शामिल भी करने लगे। न केवल वे प्रशिक्षण और दिशा–निर्देश के माध्यम से ही पड़ोसी गांवों की महिलाओं तक पहुंचने लगीं बल्कि उनके मशरूम भी तेजी से आस–पास के गांवों के बाजारों तक जाने लगे। उन्हें राज्य और देश के स्तर पर कई पुरस्कार भी दिए गए। आज वे एक सफल उद्यमी हैं और दूसरों के लिए उदाहरण भी हैं जो मशरूम की खेती से न केवल एक सम्मानजनक आय प्राप्त कर रही हैं बल्कि अपने बल पर अपने परिवार और बच्चों का जीवन भी संवार रही हैं।

मनोरमा सिंह — वैशाली, बिहार

मुजफ्फरपुर के बसंतपुर पट्टी गांव में एक किसान परिवार में जन्मीं मनोरमा को वैशाली की मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मनोविज्ञान से स्नातक किया है और उनके पास फाइन आर्ट और ब्यूटीशियन की दक्षता भी है। लेकिन शादी के बाद से ही वे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता से संतुश्ट नहीं थीं और किसी ऐसे विकल्प की तलाश में थीं जो उन्हें अधिक लाभ और समाज की ज्यादा सेवा करने का मौका दे सके। अपनी इसी खोज के जरिये वे केवीके, वैशाली के संपर्क में आईं और उन्हें आरएयू, पूसा के डॉ. दया राम के सानिध्य में रहकर ओइस्टर मशरूम की उत्पादन के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ जिसमें मशरूम उत्पादन के बारे में जानने की इच्छुक महिलाएं केवीके, वैशाली के मार्गदर्शन में एक साथ आईं। 2009 में उन्होंने छोटे स्तर पर मशरूम का उत्पादन शुरू किया। वर्ष 2011–12 में उन्होंने मशरूम की व्यावसायिक खेती शुरू की और ओइस्टर और बटन दोनों मिलाकर 46 हजार कीमत के करीब 5 क्विंटल मशरूम का उत्पादन किया। वर्तमान में वे 1200 वर्ग फीट के क्षेत्र में 125 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दोनों प्रकार के मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। अपने उत्पादों की मार्केटिंग में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए उन्होंने खेती में और सुविधाएं जोड़ दी हैं। 2016 में उन्होंने अपनी खुद की स्पॉन यूनिट भाुरू की जिसके बाद से वे वैशाली जिले और आस–पास के बाजारों में मशरूम उत्पादकों को गुणवत्तापूर्ण स्पॉन मुहैया करा रही हैं। उनकी मौजूदा आमदनी दो लाख रुपए वार्षिक है। वे 1000 महिलाओं के साथ मिलकर एक एनजीओ 'श्री पुष्पावती प्रभु गुनगान समूह' का संचालन कर रही हैं और वैशाली जिले में कृषि उद्यम का प्रतीक बन चुकी हैं। वर्ष 2011–12 में उन्हें केन्द्रीय कृषि मंत्री से 'महिन्द्र समृद्धि सम्मान' प्राप्त हुआ जबकि आरएयू, पूसा ने 2014 में उन्हें अभिनव किसान पुरस्कार दिया।

किसान चाची — मुजफ्फरपुर, बिहार

श्रीमति राजकुमारी देवी, जो अब न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में 'किसान चाची' के नाम से प्रसिद्ध हैं, राज्य की अकेली ऐसी महिला किसान हैं जिन्हें पद्मश्री का सम्मान प्राप्त हो चुका है। उन्हें 2006–07 में बिहार सरकार की ओर से किसान श्री के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावे भी उनके खाते में राज्य और केन्द्र स्तर पर कई सम्मान और पुरस्कार दर्ज हैं। राजकुमारी देवी का विवाह एक ऐसे गांव में हुआ था जहां तम्बाकू आधारित कृषि व्यवस्था मौजूद थी। उन्होंने अपने पति और गांव वालों को लीची, केला और पपीते की खेती के लिए प्रेरित किया और 1980 में परिवार और गांववालों के विरोध के बावजूद खुद खेती की कमान संभाल ली।

उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने जिमीकंद की खेती को व्यावसायिक तौर पर सहरोपण आधार पर करना शुरू किया। 1996 में केवीके, सरैया ने उनकी काबिलियत को जाना और बेहतर क्षमता निर्माण के लिए उन्हें राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा भेज दिया। होमस्टेड के तौर पर प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने अचार और मुरब्बा निर्माण के द्वारा अपने काम को और विस्तार दिया। आज वे 22–23 प्रकार के अचार बनाती हैं जिन्हें किसान मेला के माध्यम से पूरे देश में बेचा जाता है। 2011–12 और 2014 में हुए किसान मेला में उनके उत्पादों ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया था। विभिन्न प्रकार के अचारों से होने वाली उनकी कुल आय 2014 में 1 लाख 59 हजार थी और उनके योगदान को देखते हुए बिहार सरकार ने उन्हें बिहार का ब्रांड एम्बेस्डर नियुक्त किया है ताकि वे महिला किसानों को व्यावसायिक खेती के लिए प्रेरित कर सकें। अचार निर्माण के काम में जुटे उनके समूह में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं भी हैं जो 360 औरतों को मिलाकर 36 स्वयं सहायता समूह का निर्माण करती हैं और इन सबने उन्हें 'किसान चाची' का नाम दिया है।

अतरम पद्मा बाई — तेलंगाना

अपनी तीन एकड़ की पारिवारिक जमीन पर पद्मा बाई कपास, लाल चना, काला चना, रेड़ी और सोया उगाती हैं। 37 वर्ष की उम्र में पद्मा बाई चेतना ऑर्गेनिक्स की सदस्य हैं। आदिवासी गिरीजन किसान के तौर पर उन्हें 2000 किसानों वाले आठ गांवों का सरपंच भी चुना गया है। 2013 में, पद्मा बाई ने 30 हजार का लोन लेकर चेतना ऑर्गेनिक्स के मार्गदर्शन में एक कस्टम हायरिंग सेंटर खोला। इस सेंटर के जरिये वे खेती के काम में आने वाले उपकरणों को उन किसानों को 2 से 5 रुपए की मामूली दर पर किराए पर देती हैं जो उन्हें खुद खरीद नहीं सकते हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी, दरांती, कुदाल, फावड़ा और ठेला इत्यादि। उन्होंने तीन गांवों में सीमेंट की सड़कें और एक सूखी मिट्टी की सड़क बनवाई है। वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए तालाब बनाने के लिए उन्होंने सरकार से लोन लिया और चापानल के जरिये स्कूलों तक साफ पानी मुहैया कराया है।

पनीरसेल्वम — बीबीटीसी चाय बागान

54 साल की पनीरसेल्वम बीबीटीसी चाय बागान में 35 वर्षों से रह रही हैं और वहां की स्थायी कर्मचारी हैं। चाय की खेती ही उनकी जीविका का साधन है। छह साल पहले उनके पति की मौत हो गई और उनके तीनों बेटे उन्हों छोड़कर अच्छी कमाई करने के लिए शहर चले गए। चाय की बिक्री पर उनकी फेयरट्रेड प्रीमियम कमिटी को कमीशन मिलता है जिसका इस्तेमाल वे बच्चों की पढ़ाई और किताबों पर करते हैं। पनीरसेल्वम को ग्रामीण खेलों से खासा लगाव है और बढ़ती उम्र के साथ भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। वे कहती हैं कि गांव के खेलों में वे थ्रो बॉल और शॉटपुट में हिस्सा लेती हैं। हालांकि बच्चों को सिखाने के लिए हमेशा ही तैयार रहती हैं।

बिहार में महिला उद्यमिता

महिलाओं के बारे में जानकारी की बात करें तो साक्षरता, श्रम शक्ति, स्वास्थ्य शिक्षा आदि जैसे कई संकेतक हैं, जिनमें आंकड़े आसानी से उपलब्ध हैं। लेकिन महिला उद्यमिता पर आंकड़े बहुत कम है। इसलिए उद्यमिता के बारे में चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है जो उत्पादन का चौथा कारक है। और जब यह महिलाओं से संबंधित होता है तो यह जानकारी और मूल्यवान हो जाती है।

डा. बर्ना गांगुली

असिस्टेंट प्रोफेसर
सेन्टर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनांस, आद्री

उद्यमिता स्वास्थ्य और धन का एक महत्वपूर्ण संचालक है। इसे आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है। समानता और मानव संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना आवश्यक है। पिछले दशकों में महिलाओं के आर्थिक योगदान ने गति पकड़ी है। बिहार की कुल आबादी का 48 प्रतिशत महिलाओं का है, अतः महिलाओं के विकास की नीति बनाना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि, यह भी सच है कि उद्यमियों के रूप में महिलाओं की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा मुख्य रूप से प्रचलित रूढ़ियों के कारण है जिसमें महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम आंका जाता है। रूढ़िवादी लिंग भूमिकाएं हमेशा महिलाओं को घरेलू कार्यों और देखभाल से जोड़कर देखती हैं, जिससे उनकी क्षमता और कार्य भागीदारी की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है।

जनगणना 2011 के अनुसार, बिहार में 13.0% ग्रामीण क्षेत्रों में और 86.9% शहरी क्षेत्रों में घर की मुखिया महिलाएं हैं। इसके अलावा, जनगणना के अनुसार महिलाओं की कार्यबल की भागीदारी दर भी 19.1% है। महिला सशक्तीकरण के दृष्टिकोण से देखें तो, 15–49 वर्ष की आयुवर्ग में 87% महिलाएं घरेलू निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं (एनएफएचएस–5)। साथ ही 55% महिलाओं के पास घर या जमीन है, और 76.7% महिलाओं का अपना बैंक खाता है। यह संकेतक दर्शाते हैं कि बिहार की महिलाएं धीरे–धीरे सशक्त हो रही हैं।

महिलाओं के बारे में जानकारी की बात करें तो साक्षरता, श्रम शक्ति, स्वास्थ्य शिक्षा आदि जैसे कई संकेतक हैं, जिनमें आंकड़े आसानी से उपलब्ध हैं। लेकिन महिला उद्यमिता पर आंकड़े बहुत कम है। इसलिए उद्यमिता के बारे में चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है जो उत्पादन का चौथा कारक है। और जब यह महिलाओं से संबंधित होता है तो यह जानकारी और मूल्यवान हो जाती है।

महिला उद्यमिता की स्थिति

छठी आर्थिक जनगणना 2013 के अनुसार, बिहार में कुल 17.07 लाख प्रतिष्ठानों में से केवल 8.9% (1.5 लाख) महिलाओं के स्वामित्व में है। महिला स्वामित्व वाले उद्यमों में लगे कुल श्रमिक 2.8 लाख है जो बिहार के कुल श्रमिकों का लगभग 8.17% हिस्सा है। अगर वित्त पोषण के स्रोतों को देखें तो, लगभग 50.5% महिला व्यवसाय स्व–वित्तपोषित हैं और 42.0% एजेंसियों से दान और स्थानान्तरण पर आधारित हैं। वित्तपोषण के अन्य स्रोतों की वस्तु–स्थिति से पता चलता है कि महिला उद्यमियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वास्तव में अधिक से अधिक सरकार–आधारित पहल की आवश्यकता है। नीचे दी गई तालिका–1 महिला उद्यमियों के लिए वित्तपोषण के विभिन्न स्रोतों को दर्शाती है–

तालिका–1 : महिला उद्यमियों के लिए वित्त के प्रमुख स्रोत

वित्त का प्रमुख स्रोत	उद्यमियों की संख्या
स्ववित्त	77584 (50.5)
सरकार से वित्तीय सहायता	7307 (4.8)
वित्तीय संस्थानों से उधार लेना	1946 (1.3)
वित्तीय गैर–संस्थाओं / साहूकारोंसेउधारलेना	1736 (1.1)
स्वयंसहायता समूह से ऋण	520 (0.3)
अन्य एजेंसियों से दान / स्थानान्तरण	64517 (42.0)
संपूर्ण	153610 (100.0)

स्रोत : छठा आर्थिक जनगणना, 2013

महिलाओं के रोजगार की स्थिति से पता चलता है कि उनमें से ज्यादातर या तो पारिवारिक व्यवसाय में या खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और परिधान निर्माण आदि गतिविधियों में स्व–नियोजित हैं। दूसरे नंबर पर आकस्मिक श्रमिकों की संख्या है जो कि 36.7% और वेतनभोगी वर्ग की संख्या केवल 1% है (तालिका 2)। एक अन्य परिप्रेक्ष्य से पता चलता है कि महिलाओं के 1,53,610 प्रतिष्ठानों में से 63,495 में कम से कम एक कर्मचारी है। साथ ही, कुल प्रतिष्ठानों में से 3,219 हथकरघा और हस्तशिल्प से हैं, जो लगभग 2.09% है। महिला उद्यम मुख्य रूप से आकार में छोटे होते हैं, जहां 2 से 3 श्रमिक होते हैं। जैसे–जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ती है, उद्यमों की संख्या घटती जाती है। कार्य की प्रकृति का विश्लेषण करते समय, छठी आर्थिक जनगणना

में यह देखा गया है कि 92.2% महिला प्रतिष्ठान आमतौर पर बारहमासी प्रकृति के होते हैं, 6.8% मौसमी और 1.0% आकस्मिक प्रकृति के हैं। इसका मतलब है कि महिला प्रतिष्ठान आमतौर पर प्रकृति में स्थायी हैं और यदि विकसित हुए तो रोजगार सृजन का स्रोत भी बढ़ेगा।

तालिका 2 : बिहार में महिलाओं के रोजगाार की स्थिति

रोजगार की स्थिति	% में
स्वरोजगार	51.2
स्वयं का खाता कार्यकर्ता और नियोक्ता	*27.1*
अवैतनिक पारिवारिक सहायक	*24.1*
नियमितवेतन / वेतनभोगी कर्मचारी	12.0
नैमित्तिक श्रम	36.7
कुल	100.0

स्रोत : पीएलएफएस, 2019–20

तालिका 3 : प्रकार और श्रमिकों की संख्या के आधार पर महिलाओं के स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान

प्रकार / श्रमिकों की संख्या	कुल प्रतिष्ठान (संख्या में)
कोई कर्मचारी नहीं	90115
कम से कम एक कर्मचारी	63495
हथकरघा प्रतिष्ठान	3219
एक कर्मीवाला	70679
2-3 कर्मीवाला	74772
20-24 कर्मीवाला	75
100-199 कर्मीवाला	10
500 से ज्यादाकर्मी	1

स्रोत : छठा आर्थिक जनगणना, 2013

सरकार की पहल

कई बार महिलाओं को ऋण इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि उनके पास जमानत की सुरक्षा और मार्जिन मनी का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इन्हीं जरूरतों को देखते हुए, बिहार सरकार द्वारा 2021 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार, महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह योजना बहुत सहायक है। यह 'सात निश्चय, चरण 2' के लक्ष्य में से एक है। इस योजना के तहत वे महिलाएं जो 10.00 लाख रुपये परियोजना लागत से उद्योग स्थापित करना चाहती हैं, उन्हें 50% (5.0 लाख रुपये) ब्याजमुक्त ऋण दिया जाता है जो कि बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट के माध्यम से एक वर्ष के बाद 84 समान किश्तों में वसूल किया जाएगा। शेष राशि अन्य 5. 0 लाख रुपये महिला उद्यमी को सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार, 50% ऋण रूप में और 50% सब्सिडी रूप में दिया जाता है। वर्ष 2021–22 के लिए इस योजना के लिए 12,204 लाख रुपये आवंटित किए गए। 'जीविका' राज्य सरकार की एक और महत्वाकांक्षी पहल है जो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक का कार्य करती है।

निष्कर्ष

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। महिला उद्यमिता, महिलाओं को फिर से मुख्यधारा में लाने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। महिला उद्यमिता महिला श्रम बल की भागीदारी में सुधार के लिए एक प्रभावी उपकरण साबित हो सकती है। यह रोजगार को बढ़ावा देगा, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। कोविड–19 महामारी ने राज्य और देश के सामने अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी कर दीं। इस अवधि के दौरान, कई महिलाओं ने अपनी नौकरी भी खो दी। इसलिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जैसी पहल एक सकारात्मक कदम है जो न केवल महिला उद्यमिता को बढ़ावा देगी बल्कि अर्थव्यवस्था में रोजगार भी पैदा करेगी।

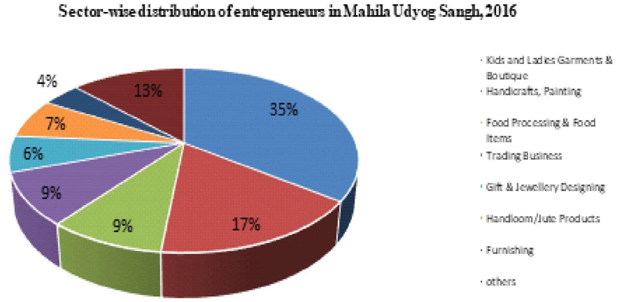

ग्राफ विभिन्न गतिविधियों में महिला उद्यमिता के वितरण को दर्शाता है।

महिला विशेष कोषांग

महिलाओं पर हिंसा को रोकने की पहल

अनुप्रिया

महिलाओं के साथ किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए बिहार सरकार के महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा राज्य के छह जिलों (दरभंगा, गया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण–मोतिहारी, भागलपुर, अररिया) में महिला विशेष कोषांग की स्थापना की गई है, जिसका संचालन TISS के माध्यम से किया जा रहा है। महिला विशेष कोषांग की स्थापना इस स्पष्ट समझ के साथ की गई है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा को रोकना राज्य की जिम्मेदारी है। इस समझ के तहत, इस विशेष कोषांग के माध्यम से पुलिस प्रणाली के अंदर ही हिंसा की शिकार महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण मनोसामाजिक–कानूनी सेवाएं प्रदान कर भावनात्मक और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कोषांग में महिलाओं पर हो रही हिंसा को सुविधाजनक वातावरण में संबोधित किया जाता है। पूर्व में इस कोषांग की पहल राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई थी।

महिला विशेष कोषांग के उद्देश्य, परिकल्पना और लक्ष्यः

हिंसा का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मनोसामाजिक–कानूनी सेवाएं प्रदान करना और कोषांग के प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित कार्यक्षेत्र में काम करनाः

- ⇨ हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्ममूल्य और गरिमा का पुनर्निर्माण
- ⇨ हिंसा को समाप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार पत्नी और पति, साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ व्यक्तिगत और संयुक्त बैठकों के दौरान परामर्श करना
- ⇨ आवश्यकतानुसार, आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस सहायता का उपयोग करना
- ⇨ आवश्यकतानुसार, महिलाओं को आश्रय गृहों, विशेष सेवाओं और संस्थानों जैसी अन्य सेवाओं तक पहुंचने में मदद करना
- ⇨ महिलाओं की व्यक्त जरूरतों के आधार पर उनके साथ मिल कर सुरक्षा योजना तैयार करना तथा राज्य की अन्य संस्थाओ के साथ समन्वय स्थापित करना और भविष्य में हिंसा को रोकने के लिए महिलाओं को सशक्त करना
- ⇨ स्वास्थ्य प्रणाली, शैक्षिक, व्यावसायिक सहित अन्य सेवाओं के साथ समन्वय स्थापित करना और आवश्यकतानुसार हिंसा से प्रभावित महिलाओं को इन सेवाओं से जोड़ना
- ⇨ कानूनी जानकारी प्रदान करना और आवश्यकतानुसार कानूनी सहायता से जोड़ना
- ⇨ महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने और महिलाओं के सर्वोत्तम हित में विभिन्न हितधारकों के साथ काम करने के लिए गृह भ्रमण तथा क्षेत्र भ्रमण करना
- ⇨ नियमित रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के संबंध में समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम करना

शुरुआत से लेकर दिसंबर 2021 तक 4197 महिलाओं को महिला विशेष कोषांग द्वारा मदद पहुंचाई गई है। महिलाओं पर हो रही हिंसा को रोकने के लिए पुरुषों के साथ कार्य करना विशेष कोषांग का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहां महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए, विशेष कोषांग में 2554 पुरुषों के साथ भी काम किया गया है। कोषांग का प्रयास रहता है कि महिलाओं पर हो रही हिंसा को रोकने के साथ–साथ उनके सशक्तिकरण का भी कार्य किया जाये। उपरोक्त उद्देश्य के साथ महिला विशेष कोषांग द्वारा कई महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया गया है। कोषांग द्वारा महिलाओ के हित में किये जा रहे कार्यो को जुलेखा के केस स्टडी'' के माध्यम से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। 22 वर्षीय जुलेखा (बदला हुआ नाम) की माँ महिला विशेष कोषांग में आई और बताया कि उनकी बेटी जुलेखा की शादी उनकी सगी बहन के बेटे के साथ दो वर्ष पूर्व हुई थी। अभी कुछ दिन पहले उसका फ़ोन आया था कि उसके साथ पति द्वारा मारपीट की जा रही है। उसे बाहर भी नहीं निकलने नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महिला विशेष कोषांग की सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सम्बंधित पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी से बात कर जुलेखा के साथ हो रही घरेलू हिंसा के संदर्भ में, उन्हें जानकारी दी गई। साथ ही उसे वहां से बाहर निकलने में मदद के लिए सहयोग माँगा गया। इस समन्वय के बाद जुलेखा की माँ को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पुलिस की मदद से जुलेखा को उसके ससुराल से निकाला गया। जुलेखा के हितों को ध्यान में रखते हुए महिला विशेष कोषांग के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उसके पति के साथ एकल बैठक की गई। जुलेखा के पति से आश्वासन पत्र लिखवाया गया। आश्वासन पत्र लिखने के बाद जुलेखा

अपनी बेटी के साथ, अपने ससुराल में रहने गयी। जुलेखा के साथ पहले भी घरेलू हिंसा होती रही थी, उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक रणनीति के तहत महिला विशेष कोषांग के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा 20 दिन बाद जुलेखा की स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से उसके घर का भ्रमण किया गया। तब जुलेखा द्वारा बताया गया कि उसके पति का व्यवहार पहले 4–5 दिन ठीक रहा, लेकिन अब वह फिर से मारपीट करने लगा है। माँ के साथ अकेले में फ़ोन पर बात नहीं करने दे रहा है। ऐसे में वो अपनी माँ को भी इस संदर्भ में कुछ नहीं बता पाई है। अब वह यहाँ से निकलना चाहती है। इसलिए कोषांग के सामाजिक कार्यकर्ता ने एक रणनीति के तहत दोनों को अगले दिन ही विशेष कक्ष पर बातचीत के लिए बुलाया, ताकि जरूरत के अनुसार जुलेखा विशेष कक्ष से ही, सीधे माँ के पास जा सके। अगले दिन जुलेखा के पति के साथ बातचीत के बाद उससे, जुलेखा का स्त्रीधन भी दिलवाने में मदद की गई। साथ ही जुलेखा और उसकी बेटी के भरण–पोषण के लिए भी, उसके पति को बोला गया। पति द्वारा किसी तरह के भरण–पोषण देने से इनकार करने की स्थिति में उसे यह बात बताई गई की जुलेखा और उसकी बेटी को खर्चा लेने का अधिकार है और कानून भी उसको यह हक़ देता है। जुलेखा के पति द्वारा मना करने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 125 के तहत उसका मामला न्यायालय ले जाया गया जहां अभी उसका मामला विचाराधीन है। इसके साथ ही जुलेखा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसे भारतीय स्टेट बैंक के व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र के साथ जोड़ा गया। जहाँ महिलाओ को सिलाई सिखाई जाती है। जुलेखा ने दो महीने का कोर्स पूरा कर खुद से काम करना शुरू कर दिया है। वह आत्मनिर्भर बन चुकी है।

बिहार के 6 जिलों में महिलाओं के लिए विशेष कोषांग में सामाजिक कार्यकर्ताओं की सूची

जिला	महिलाओं के लिए विशेष कोषांग का पता	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम
पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)	महिलाओं के लिए विशेष कोषांग, महिला थाना, नगर थाना के पास, मोतिहारी– 845401	सुनीता उमा
भागलपुर	महिलाओं के लिए विशेष कोषांग, डीआरडीए परिसर, जिला कलेक्ट्रेट, एसएसपी कार्यालय के पास, भागलपुर– 812001	बिन्दु ज्योति
गया	महिलाओं के लिए विशेष कोषांग, एसएसपी कार्यालय, जिला समाहरणालय के पास, गया– 823001	संगीता अभिरुचि
दरभंगा	महिलाओं के लिए विशेष कोषांग, महिला थाना/लहेरियासराय थाना, लहेरियासराय टॉवर के पास, दरभंगा– 846001	रंजू कनुप्रिया
किशनगंज	महिलाओं के लिए विशेष कोषांग, एसपी कार्यालय, किशनगंज, बिहार –855107	लता पारोमिता
अररिया	महिलाओं के लिए विशेष कोषांग, महिला थाना, पीएचईडी कॉलोनी, अररिया, बिहार – 854311	चंद्रमणि पियूष बी शबीला

महिलाओं के लिए 'सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि' योजना

यूपीएससी/बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल सामान्य एवं पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि देगा महिला एवं बाल विकास निगम

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत नव स्वीकृत "सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना" के तहत राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता दे रही है, जो केंद्र लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) या बिहार राज्य लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण हैं। महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा संचालित इस योजना में सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं को 1,00,000 और 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह पैसा उम्मीदवार को एकमुश्त दिया जाएगा ताकि उसे मुख्य परीक्षा की तैयारी में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। यह राशि उन महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगी जिनको राज्य सरकार के अन्य विभागों यथा अत्यंत पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत कोई आर्थिक सहयोग या अनुदान पूर्व में नहीं मिली हो। योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी पात्रताओं में बिहार का निवासी होना, और यूपीएससी/ बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें आवेदन करने के लिए आवेदिका के पते का सबूत, पहचान का प्रमाण आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदिका का स्वयं का बैंक खाता और आधार होना भी जरूरी है। योजना में इस वर्ष 27 महिलाओं ने आवेदन किया है।

महिलाएं ही ग्रामीण विकास की कुंजी

करीब तीन दशकों की लगातार उपेक्षा के बाद कृषि अंतरराष्ट्रीय एजेंडा में लौट आया है और हितधारक गरीबी को कम करने तथा सतत विकास में इसकी भूमिका का पुनरावलोकन करने लगे हैं। थिंक टैंक, सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अब ये समझ आने लगा है कि छोटे किसान और खासकर महिलाएं ही निरंतर ग्रामीण विकास की कुंजी हैं।

हमारी दुनिया आज चार ऐसे संकटों से जूझ रही है जो आपस में जुड़े हैं—भोजन, ऊर्जा, वित्त और जलवायु परिवर्तन। और इन संकटों से सबसे ज्यादा लोग जो प्रभावित हुए हैं, उनमें शामिल हैं किसान, मछुआरे, ग्रामीण और स्थानीय लोग, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया के सबसे गरीब और कमजोर लोगों में गिना जाता है। इन वैश्विक चुनौतियों ने हमें कृषि का पुनः परीक्षण करने का एक अवसर प्रदान किया है। करीब तीन दशकों की लगातार उपेक्षा के बाद कृषि अंतरराष्ट्रीय एजेंडा में लौट आया है और हितधारक गरीबी को कम करने तथा सतत विकास में इसकी भूमिका का पुनरावलोकन करने लगे हैं। थिंक टैंक, सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अब ये समझ आने लगा है कि छोटे किसान और खासकर महिलाएं ही निरंतर ग्रामीण विकास की कुंजी हैं। तो कृषिरत महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत क्यों है?

सबसे पहले, विकासशील देशों में खेती करने वाली आबादी का 50 प्रतिशत महिलाएं हैं; स्थानीय तौर पर उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों का 70 प्रतिशत उत्पादन छोटे और लघु किसानों के समुदाय करते हैं। दूसरा, कई विकासशील देशों में महिलाएं किसान भी हैं; खेतों में किए जाने वाले 50 से 90 प्रतिशत तक काम महिलाओं द्वारा किए जाते हैं।

तीसरा, महिलाएं ही यह सुनिश्चित करती हैं कि टेबुल पर खाने के लिए भोजन मौजूद रहे। हर रात को सोने से पहले वे ही इस बारे में सोचती हैं कि अगले दिन उनका परिवार क्या भोजन करेगा, कि भोजन खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे या कि किस फसल की वे कटाई करेंगी। जब भी कभी फसल खराब हो जाती है या भोजन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं, तो 'कुछ जादुई' करना भी उनका काम ही होता है। पीने, खाना पकाने या सफाई के लिए पानी लाना, कई बार तो काफी दूर से भी, उनका काम ही होता है।

चौथा, महिलाएं प्राथमिक रूप से सेवाप्रदाता होती हैं। जब भी परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है, तो वो मां ही होती है जो बीमार की सेवा करने के लिए अपने सारे काम छोड़ देती है; वो ही अपने परिवार और समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखती है।

पांचवां, महिलाएं शिक्षिका होती हैं। ज्यादातर परिवारों में, जिनमें किसान परिवार भी शामिल हैं, मां ही बच्चों को उनके स्कूल के कार्य में मदद करती हैं, स्कूल की बैठकों में भाामिल होती हैं और बच्चों को परिवार के मूल्यों और परंपराओं की शिक्षा देती हैं।

और अंततः, महिला किसान ''घरेलू औरतें नहीं होती हैं, जो पैसे के लिए अपने पतियों का इंतजार करती हैं।'' कई औरतें परिवार की फसल या मछलियों को बाजार तक खुद पहुंचाती हैं। कई महिलाएं अपने परिवार की आय को बढ़ाने के लिए कई तरह की आय आधारित गतिविधियों में लगी हुई हैं। यदि हम अपनी दुनिया को गरीबी और भूख से आजाद करना चाहते हैं तो हमें महिला किसानों की क्षमता को पहचानना ही होगा कि उनके पास अपने परिवार को गरीबी से बाहर लाने की ताकत और समाधान है, और इसलिए उन्हें कृषि के अगले मोर्चे पर खड़े होने की जरूरत है। महिलाएं अपनी आमदनी को परिवार की मौलिक जरूरतों—भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा—को पूरा करने में खर्च करती हैं। गहन अनुसंधानों से ये बात साफ हो गई है कि उत्पादकता और आय के रूप में सर्वोच्च लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब महिलाओं और उनके संगठनों को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया जाए। महिलाओं का सशक्तीकरण एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है। इसका आरंभ महिलाओं की स्थिति के अनुसार उनकी मदद करने, उनमें अपने प्रति सम्मान जगाने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने, तथा समान परिस्थिति से जूझ रही महिलाओं के साथ अपने अनुभवों को साझा करने से होता है। उन्हें संगठित करना, उनमें क्षमता निर्माण करना, नेतृत्व विकसित करना और उन्हें आर्थिक रूप से और सशक्त बनने में मदद करना मुख्य योजनाएं होंगी।

एस्ट्रेला पुनेनिया

(लेखिका फिलीपींस स्थित एशियन फार्मर्स एसोसिएशन फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट (एएफए) की महासचिव हैं)

(प्रस्तुत आलेख www.weforum.org से लिया गया है।)

बिहार का पहला 'खुला शौचमुक्त' गांव सीतामढ़ी में

बेटियों की स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए सम्मिलित प्रयास

बिहार में 15–25 साल की केवल 31 प्रतिशत महिलाएं ही सुरक्षित रूप से अपने माहवारी का प्रबंधन करती है। ऐसे में इस तरह की सकारात्मक पहल हमें एक नए भविष्य की उम्मीद दिलाती हैं, जहाँ किशोरियों को भी बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकार मिलें और वे लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल सकें!

अविनाश उज्ज्वल

पटना से 150 किलोमीटर दूर नेपाल के सीमावर्ती जिले सीतामढ़ी के पुरानी बाज़ार में रहने वाली लक्ष्मी की माहवारी का आज दूसरा दिन है। लक्ष्मी स्कूल के लिए तैयार हो रही है। दलित परिवार से आने वाली लक्ष्मी दो भाई–बहनों में बड़ी है। उसके पिता ठेला चलाते हैं। माहवारी से परेशान होने के बजाय लक्ष्मी बेफ़िक्र होकर स्कूल जा रही है, क्योंकि उसके स्कूल में सेनेटरी पैड बैंक है। वहाँ से लक्ष्मी और स्कूल की सभी लड़कियों को मुफ़्त में सेनेटरी पैड मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के पहले खुले में शौचमुक्त जिला सीतामढ़ी की, जहाँ के लगभग सभी चयनित स्कूलों में सेनेटरी पैड बैंक और साबुन बैंक बनाया गया है। अपने अनुभव साझा करते हुए राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, पुरानी बाज़ार की कक्षा 8 की छात्रा लक्ष्मी कुमारी कहती है, "कुछ महीने पहले तक, जब मुझे पीरियड्स आते थे तो समझ में नहीं आता था कि क्या करूँ। मैं कपड़े का ही इस्तेमाल करती थी, लेकिन उससे कपड़े गंदे होने का डर रहता था। इस वजह से मैं 4–5 दिनों के लिए स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन जब से हमारे स्कूल में सेनेटरी पैड बैंक बना है, मुझे माहवारी की कोई फ़िक्र नहीं है। अब मेरे स्कूल की सभी लड़कियां सेनेटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं।" माहवारी लड़कियों की स्कूल से अनुपस्थिति और ड्रॉप आउट का कारण बनती रही है। भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS–4) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 15 से 24 वर्ष की 57.6% महिलाएं ही माहवारी के दौरान स्वच्छता पर ध्यान देती हैं, जबकि बिहार में ऐसी महिलाओं की संख्या केवल 31% है। बिहार के शहरी क्षेत्रों में जहाँ 55.6 प्रतिशत महिलाएं माहवारी के दौरान सेनेटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में ऐसी महिलाओं की संख्या सिर्फ़ 27.3 प्रतिशत है।

सीतामढ़ी के एक स्कूल में सेनेटरी पैड और साबुन बैंक। फोटो श्रोतः hindi.thebetterindia.com

इस पहल के बारे में बताते हुए प्रिंसिपल कुमारी उषा लता कहती हैं, "हमारी ज्यादातर छात्राएं कमजोर, वंचित और महादलित समुदाय से हैं। उन्हें माहवारी के दौरान किस तरह से रहना है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यूनिसेफ के सहयोग से शुरू हुई इस पहल में हमने लड़कियों के शौचालय को सेनेटरी पैड फ्रेंडली बनाया है। हर शौचालय में एक छोटा रैक और एक लिफ्ट डस्टबिन बनाया गया है। साथ ही, मेरे दफ्तर में भी 2 बॉक्स हैं, जिनमें से एक में साबुन और एक में सेनेटरी पैड रखा जाता है। रोज़ हर शौचालय में 10–10 पैड रखे जाते हैं। इनके ख़त्म हो जाने पर मेरे दफ्तर में आकर लड़कियां पैड लेती हैं।"

यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जा रहा यह सेनेटरी पैड बैंक एक शानदार पहल है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं में स्वास्थ्य और सेनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसमें बाल संसद और मीना मंच के सदस्य सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। मध्य विद्यालय, बेरवास के प्रधान शिक्षक मनोज कुमार यादव कहते हैं कि शुरुआत में हमने स्वयं कुछ पैसों से पैड खरीद कर इसकी शुरुआत की थी। इस बैंक को चलाने के लिए हम अभी हर छात्रा से प्रति माह 5 रुपए लेते हैं, लेकिन यह स्वैच्छिक है। छात्र, शिक्षक या कोई भी अभिभावक या तो पैसे से मदद कर सकते हैं, या सेनेटरी पैड खुद खरीद कर दान कर सकते हैं। हम लोगों, छात्रों और संकाय सदस्यों को साबुन या सेनेटरी पैड दान करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सब ज़रूरतमंदों तक ही पहुँचे। हम अपने सहकर्मियों को लड़कियों के जन्मदिन पर इस पैड बैंक और सोप बैंक में सेनेटरी पैड और साबुन दान करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इसकी निगरानी शिक्षक, मुख्य शिक्षक, बाल संसद और मीना मंच के सदस्यों के सहयोग से की जाती है।

मध्य विद्यालय, बेरवास की स्वाति कुमारी कहती है, "हमें अपनी माहवारी के दौरान छुट्टियां लेनी पड़ती थी। स्कूल वापस आने पर हमें क्लास में बताना पड़ता था कि हम छुट्टी पर क्यों थे। यह बहुत असहज लगता था और ऐसा हर महीने होता था। इसमें कोई गोपनीयता नहीं रहती थी। यूनिसेफ बिहार की संचार विशेषज्ञ निपुण गुप्ता बताती हैं कि माहवारी को लेकर वर्षों से समाज में प्रचलित सांस्कृतिक और सामाजिक धारणा ने महिलाओं को प्रभावित किया है। सही जानकारी नहीं होने के कारण कई बार महिलाएं और किशोरियां माहवारी के दौरान साफ़–सफ़ाई का ठीक से ध्यान नहीं रखतीं और कई बार अनजाने में गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर लेती हैं। इससे कई तरह की बीमारियों के साथ उन्हें सर्वाइकल कैंसर होने का ख़तरा रहता है।

एक आंकड़े के अनुसार, आज भी 50% से ज्यादा किशोरियां माहवारी के कारण स्कूल नहीं जाती हैं। महिलाओं को आज भी इस मुद्दे पर बात करने में झिझक होती है, वहीं कुछ का मानना है कि माहवारी मानो कोई अपराध है। आज भी माहवारी जैसी एक स्वाभाविक प्रक्रिया को एक गोपनीय मुद्दे के रूप में देखा जाता है, साथ ही इस दौरान कई इलाकों में किशोरियों–महिलाओं को अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस सकारात्मक पहल और सबके सम्मिलित प्रयासों से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम अपनी बेटियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ समाज बना पाएंगे।

मासिक धर्म के दौरान बिहार की 42% महिलाओं द्वारा सैनिटरी नैपकिन का उपयोग किया जाता है। 67% महिलाएं कपड़े का उपयोग करती हैं। 17% स्थानीय रूप से तैयार नैपकिन का उपयोग करती हैं तथा 2% महिलाएं टैम्पोन का उपयोग करती है।

	एनएफएचएस 5	एनएफएचएस 4
सैनिटरी नैपकिन	42%	16%
कपड़ा	67%	82%
स्थानीय नैपकिन	17%	14%
टैम्पोन	2%	2%

कमला भसीन

क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है

एक पिता अपनी बेटी से कहता है–
पढ़ना है! पढ़ना है! तुम्हें क्यों पढ़ना है?
पढ़ने को बेटे काफ़ी हैं, तुम्हें क्यों पढ़ना है?
बेटी पिता से कहती है–
जब पूछा ही है तो सुनो मुझे क्यों पढ़ना है
क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है

पढ़ने की मुझे मनाही है सो पढ़ना है
मुझ में भी तरुणाई है सो पढ़ना है
सपनों ने ली अंगड़ाई है सो पढ़ना है
कुछ करने की मन में आई है सो पढ़ना है
क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है

मुझे दर–दर नहीं भटकना है सो पढ़ना है
मुझे अपने पाँवों चलना है सो पढ़ना है
मुझे अपने डर से लड़ना है सो पढ़ना है
मुझे अपना आप ही गढ़ना है सो पढ़ना है
क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है

कई जोर जुल्म से बचना है सो पढ़ना है
कई कानूनों को परखना है सो पढ़ना है
मुझे नये धर्मों को रचना है सो पढ़ना है
मुझे सब कुछ ही तो बदलना है सो पढ़ना है
क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है

हर ज्ञानी से बतियाना है सो पढ़ना है
मीरा–राबिया का गाना गाना है सो पढ़ना है
मुझे अपना राग बनाना है सो पढ़ना है
अनपढ़ का नहीं ज़माना है सो पढ़ना है
क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है।

मलाला: लड़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो

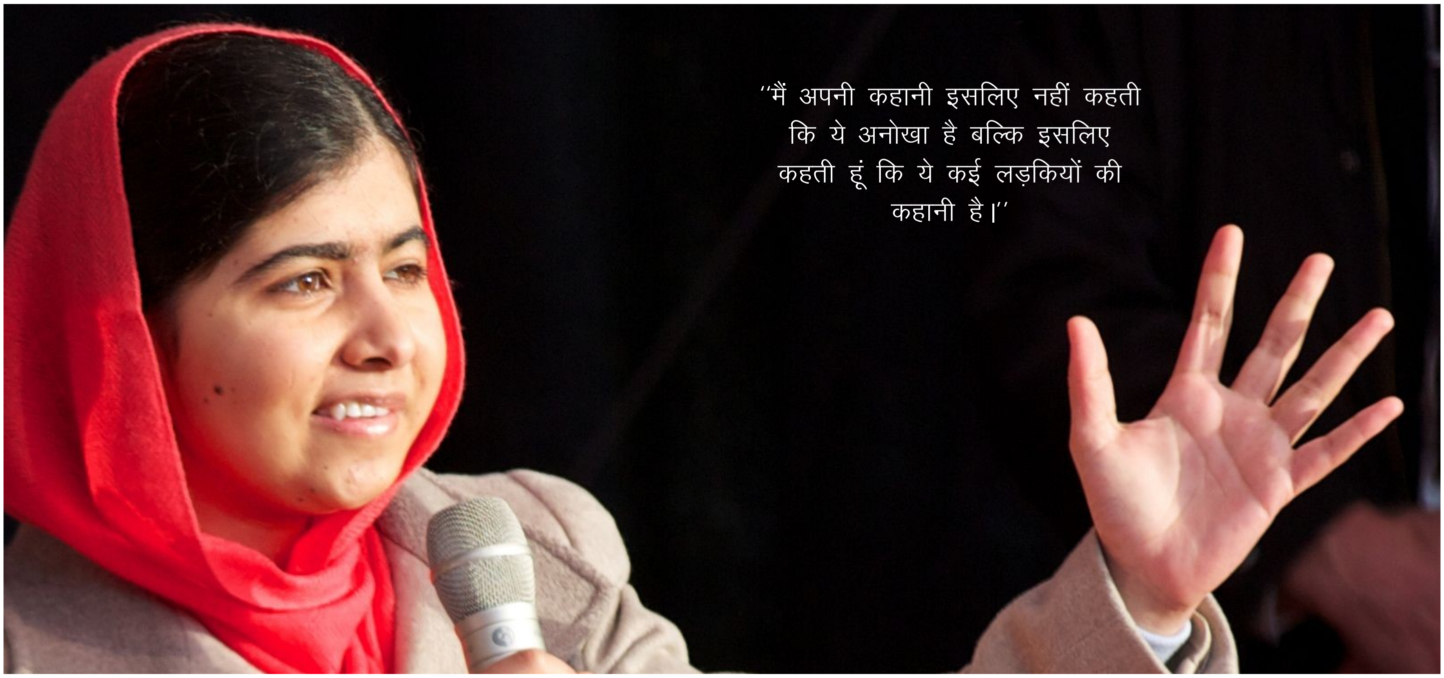

1997

मेरा जन्म पाकिस्तान के मिंगोरा प्रांत में 12 जुलाई, 1997 को हुआ था। पाकिस्तान में लड़की के जन्म लेने पर कभी खुशी नहीं मनाई जाती –लेकिन मेरे पिता, जियाउद्दीन युसुफज़ई, मुझे वो हर मौका देने के लिए प्रतिबद्ध थे जो किसी भी लड़के को दिया जा सकता था।

2008

मेरे पिता शिक्षक थे और गांव में लड़कियों का स्कूल चलाते थे। मुझे स्कूल जाना पसंद था। लेकिन सब कुछ तेजी से बदलने लगा जब तालिबान ने हमारी स्वात घाटी पर कब्जा कर लिया। उग्रवादियों ने कई सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया–जैसे कि टेलीविजन रखना और संगीत सुनना–और उन लोगों को कड़ी सजा देने लगे जो उनके आदेशों की अवहेलना करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियां अब कभी स्कूल नहीं जा सकती हैं। जनवरी, 2008 में जब मैं 11 वर्ष की थी, मैंने अपने दोस्तों को अलविदा कह दिया–नहीं मालूम था कि फिर कभी उनसे मिल सकूंगी या नहीं।

2012

मैंने लड़कियों की ओर से शिक्षा पाने के उनके अधिकार के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की। ऐसा करके मैं निशाने पर आ गई। 2012 के अक्टूबर में, जब मैं स्कूल से घर लौट रही थी, एक नकाबपोश बंदूकधारी ने मेरी बस को रोका, और पूछा, ''कौन है मलाला?'' उसने मेरे सिर के बाएं हिस्से में गोली मार दी। 10 दिनों के बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं इंग्लैंड के बर्मिंघम के एक अस्पताल में थी। डॉक्टरों और नर्सों ने मुझे उस हमले के बारे में बताया और कहा कि पूरी दुनिया मेरे स्वस्थ होने की कामना कर रही है।

2014

महीनों तक इलाज और कई ऑपरेशनों के बाद, मैं इंग्लैंड में अपने माता–पिता के साथ नए घर में रहने लगी। तब मुझे पता चला कि मेरे पास एक मौका है: मैं एक शांत जीवन जी सकती थी या मैं अपने इस नए जीवन का लाभ उठा सकती थी। मैंने संकल्प लिया कि अपनी लड़ाई को तब तक जारी रखूंगी जब तक हर लड़की स्कूल नहीं जाने लगती। अपने पिता के सहयोग से, मैंने मलाला फंड की स्थापना की, एक ऐसी सहयोग संस्था जो हर लड़की को अपना भविष्य चुनने का मौका देने के लिए समर्पित है। हमारे कार्य को मान्यता मिली, दिसम्बर, 2014 को मुझे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मैं सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली इंसान बन गई।

2018

अभी मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रही हूं। हर दिन मैं ये सुनिश्चित करती हूं कि हर लड़की को निःशुल्क, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। मैं अलग–अलग देशों की यात्रा करती हूं, ताकि गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव से पीड़ित लड़कियों से मिल सकूं। मलाला फंड इन लड़कियों की कहानी को दूरी दुनिया के सामने लाने के लिए काम कर रहा है। मुझे यकीन है कि साथ मिलकर हम ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां हर लड़की पढ़ सके और आगे बढ़ सके।

महिलाओं को पंचायत में आरक्षण

महिलाओं ने माना कि चुनाव जीतने के बाद समाज और परिवार में उनकी अहमियत बढ़ गई है। उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ा है और अब उनमें खुद के लिए सम्मान है। घर के मामलों में निर्णय लेने की क्षमता और अवसर भी बढ़े हैं। ऐसी कई महिला मुखिया और प्रतिनिधियों के नाम सामने रखे जाते हैं जिन्होंने तमाम बाधाओं के बाद भी चुनाव जीता और आज अपने गांव और समाज के लोगों के लिए नजीर बनी हैं।

आरंभ नये युग का

सत्ता के वास्तविक विकेन्द्रीकरण की शुरुआत तब हुई जब दिसम्बर, 1992 में भारतीय संसद ने पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन के लिए संविधान में एक नया संशोधन पास किया। जहां अनुच्छेद 40 में कहा गया था कि राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन की दिशा में कदम उठाने होंगे और उन्हें वे तमाम शक्तियां एवं सत्ता प्रदान करनी होगी जो उन्हें स्वशासन स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए जरूरी हो, वहीं 1992 के 73वें संविधान संशोधन में स्पष्ट रूप से गांवों में पंचायती राज की स्थापना के बारे में कहा गया। वो राज जिसमें हर वर्ग और लिंग के लोगों को समान प्रतिनिधित्व और अधिकार प्राप्त हो। 1993 में लागू संशोधन में जिन दो बातों को केन्द्र में रखा गया वे थे–

– पहला, पंचायतों में नियमित चुनाव हों, उनके पास पावर हो और उन्हें संसाधन प्रदान किया जाय, और

–दूसरा, समाज एवं राजनीति में हाशिये पर रखे गए वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना। इसमें गांव, जिला और माध्यमिक स्तर पर पूरे देश में चुनी गई पंचायतों की स्थापना करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। कहा जा सकता है कि संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों में महिलाओं के लिए जो जगह बनाई वो आज भी उनके लिए मील का पत्थर बना हुआ है। इसने सभी पंचायत परिषदों और प्रधान की सीटों का एक–तिहाई महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया। इसने 1992 में ही 74वें संशोधन का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया जिसके बाद नगर निगम और नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए सीट सुरक्षित रखने के प्रावधान लागू कर दिये गये।

बिहार ने दिया 50 फीसद आरक्षण

इस रास्ते पर चलते हुए बिहार पहला राज्य बना जिसने अपने यहां की त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50 फीसद आरक्षण का एलान कर दिया। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और हिमाचल प्रदेश भी उसका अनुसरण किया। वर्तमान में बिहार में चुने हुए जनप्रतिनिधियों में से 54 फीसद महिलाएं हैं। हालात ये हैं कि आज भारत में पूरी दुनिया की महिला जनप्रतिनिधियों से भी ज्यादा चुनी हुईं महिला जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। अगर बिहार की बात करें तो यहां 38 जिला परिषद, 531 पंचायत समिति और 8471 ग्राम पंचायत हैं। बिहार में पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी पर रेणु कुमारी और सियाराम सिंह ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के नेतृत्व ने बिहार के गांवों को हर ओर से प्रभावित किया है। उन्होंने इस बात का भी विरोध किया है कि चुनी हुई महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) केवल डमी हैं और वे पंचायत की बैठकों में हिस्सा नहीं लेतीं या फिर अपनी बात नहीं रखतीं। उन्होंने समस्तीपुर के पूसा ब्लॉक की 50 चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों पर अध्ययन में पाया कि न केवल वे बैठकों में हिस्सा लेती हैं बल्कि अपनी बात भी रखती हैं।

आरक्षण ने बदली किस्मत

पंचायती राज मंत्रालय के 2006–07 की मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट के मुताबिक, हमारे देश में करीब 10 लाख महिला जनप्रतिनिधि हैं और करीब 80 हजार महिला प्रधान हैं। 1999 में सेंटर फॉर वीमेन डेवलपमेंट स्टडीज के एक अध्ययन में बताया गया कि सर्वे में शामिल 95 फीसद महिला प्रतिनिधियों ने माना कि अगर आरक्षण नहीं होता तो वे चुनाव नहीं जीत पातीं। वर्ष 2008 में पंचायती राज मंत्रालय के लिए एसी निल्सन ओआरजी–मार्ग द्वारा चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधियों पर किये गये एक राष्ट्रवादी सर्वेक्षण से आरक्षण को लेकर कुछ अहम बातों का खुलासा हुआ। 1,039,058 चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधियों में हर पांच में से चार आरक्षित सीट से थीं। आरक्षण के कारण ही करीब 83 फीसद महिलाओं का पहली बार राजनीति में प्रवेश संभव हो सका था। हालांकि आरक्षण का लाभ वंचित समूहों के लिए उठा पाना मुश्किल रहा क्योंकि कुल चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधियों में से केवल 26 फीसद अनुसूचित जाति तथा 13 फीसद अनुसूचित जनजाति की थीं।

आरक्षण ने महिलाओं को न केवल राजनीति में इंट्री दी बल्कि ऐसी कई चीजें दीं जिनकी अब से पहले उनके पास कमी थी। सर्वे में शामिल महिलाओं ने माना कि चुनाव जीतने के बाद समाज और परिवार में उनकी अहमियत बढ़ गई है। उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ा है और अब उनमें खुद के लिए सम्मान है। घर के मामलों में निर्णय लेने की क्षमता और अवसर भी बढ़े हैं। ऐसी कई महिला मुखिया और प्रति. निधियों के नाम सामने रखे जाते हैं जिन्होंने तमाम बाधाओं के बाद भी चुनाव जीता और आज अपने गांव और समाज के लोगों के लिए नजीर बनी हैं।

पिछड़ी जाति की महिलाओं को चुकानी पड़ी कीमत

महिलाओं के लिए आरक्षण राजनीति में आने की सीढ़ी तो बनी लेकिन उंचाइयों तक पहुंचने में उन्हें इज्जत, सम्मान और यहां तक कि जान भी गंवानी पड़ी। खासकर दलित और अनुसूचित जाति की महिला प्रतिनिधियों के लिए रास्ता बहुत दूभर रहा। हमें याद है राजस्थान का वह मामला जब 15 अगस्त को राष्ट्रीय झंडा फहराने के दौरान एक आदिवासी महिला सरपंच को निर्वस्त्र कर दिया गया था। ऐसा ही एक वाकया मध्य प्रदेश में हुआ जब ग्राम सभा की बैठक में एक दलित महिला प्रधान का चीरहरण किया गया था। उसकी गलती यही थी कि उसने फैसला लेने से पहले बड़ी जाति के लोगों से सलाह नहीं ली थी। इसके अलावा भी ऐसे कई मौके देखने को मिले हैं जहां ग्राम सभा की बैठक में दलित महिला प्रधान को जमीन पर बैठना पड़ा है जबकि रसूखदार मर्दों को कुर्सियां दी गई थीं। ये घटनाएं उस कुत्सित मानसिकता का परिणाम हैं जो हमारे पुरुषों को किसी महिला को नेतृत्व के स्थान पर स्वीकार नहीं करने देती है। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब नेतृत्व करने वाली महिला दलित या पिछड़ी जाति से हो। इतना ही नहीं कई बार सरकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी महिला प्रतिनिधियों को समुचित सम्मान नहीं दे पाते और उनकी अवहेलना

करते हैं। ऐसा एक मामला नवादा के पंचानपुर गांव में देखा गया जहां की मुसहर समुदाय की समिति सदस्य ने आरोप लगाया कि लोन के लिए आवेदन देने पर बैंक अधिकारियों ने उन्हें अपमानित किया।

मुखिया पति : एक जटिल स्थिति

महिलाओं को स्थानीय चुनावों में आरक्षण मिलना और फिर उनका भारी संख्या में चुनकर सामने आना एक सुखद अनुभव और विकास की ओर बेहतरीन कदम है लेकिन इसके साथ ही साथ एक ऐसी जटिलता भी आगे बढ़ रही है जो महिला प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता और उनके फैसलों को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। गांवों में 'मुखिया पति' शब्द आम है। ये वो 'एमपी' पति हैं जिनकी पत्नियां गांव की चुनी हुईं मुखिया हैं। आरोप लगते रहे हैं और उनमें बहुत हद तक सच्चाई भी है कि मुखिया पतियों का अपनी पत्नियों के काम–काज में अत्यधिक दखल होता है। हालांकि एसी निल्सन ओआरजी–मार्ग के अध्ययन से अब थोड़ी राहत मिलने लगी है क्योंकि यह बताता है कि समय के साथ–साथ मुखिया पतियों का हस्तक्षेप कम होने लगा है क्योंकि महिला प्रतिनिधि ज्यादा सजग और आत्मविश्वासी होने लगी हैं। महिला जनप्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण देकर उन्हें और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और खुशी की बात ये है कि सरकार के साथ–साथ बड़ी संख्या में एनजीओ भी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। अंत में कह सकते हैं कि पंचायत में महिलाओं को अपनी पहचान बनाने में कामयाबी मिल रही है लेकिन इसकी गति बढ़ाने तथा उनकी उपस्थिति को और उपयोगी बनाने के लिए जरूरी है कि कट्टरवादी सोच और मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ें।

सहानुभूति नहीं समान अधिकार चाहिए

भारत में एकल महिलाओं के लिए योजनाएं एवं कानून

विवाह करना या न करना किसी की भी इच्छा का हिस्सा होना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि एकल महिला का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में व्यापक योगदान है। ज्यादातर एकल महिलाओं ने कार्यशील दिवसों में प्रतिबद्धता के साथ अपना योगदान किया है। वे बिना किसी दबाव के अपना कार्य पूरा करती हैं और एकल होने के कारण लगातार इनकी कार्यकुशलता भी बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ जो (महिला और पुरुष दोनों) स्वयं अनुशासनहीन हैं, प्रतिबद्ध नहीं हैं, वे अपनी निराशा और कुंठा इन एकल महिलाओं पर निकालते हैं और उनका चरित्र हनन करने में, उनके व्यक्तित्व पर टीका–टिप्पणी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पुरुष सत्ता में उस एकल महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया, इसलिए संभवतः वह सबके लिए सबसे आसान निशाना होती हैं। समाज में, कार्यस्थल पर और अन्य स्थानों पर भी एकल महिलाओं के विरुद्ध झूठे किस्से गढ़े जाते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इसमें कोई दो राय नहीं कि एकल महिला भावनात्मक तनाव से पृथक रहती है, इसलिए उनमें तार्किकता और यथार्थता अधिक होती है। उनका अपना सांस्कृतिक विश्व भिन्न तरह का है।

ज्यादातर लोग काम के प्रति प्रतिबद्धता न रख पाने के लिए परिवार के ढांचे को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे हमेशा घर–परिवार, बच्चों, ससुराल या बीमारी का सहारा लेकर कार्यस्थल की जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि एकल होने का मतलब जिम्मेदारी से मुक्त होना है। जबकि सच तो यह है कि उनकी जिम्मेदारियां असीमित होती हैं, क्योंकि उनका दायरा व्यापक होता है। फिर क्यों एकल महिला को एक नागरिक के रूप में मान्यता नहीं है? क्यों महिला को संकीर्ण, अस्मिताओं के परे नहीं देखा जाता?

जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत में एकल महिलाओं की आबादी में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी भारत में सात करोड़ एकल महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने या तो कभी शादी नहीं की या फिर तलाकशुदा, विधवा का जीवन जी रही हैं या फिर अलग रह रही हैं। यह आंकड़ा हमारी कुल महिला आबादी का लगभग बारह प्रतिशत है। एकल महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे राष्ट्रीय फोरम ने देश के सात राज्यों– केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में व्यापक सर्वेक्षण में यह पाया कि दक्षिण के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों में एकल महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब है।

गोद लेने का अधिकार है मगर अड़चनें भी

'इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ एडॉप्शन एंड चाइल्ड केयर' के आंकड़े बताते हैं कि देश में एकल महिलाओं द्वारा बच्चों को गोद लेने के मामलों में वृद्धि हो रही है। हमारे यहां वैसे तो एकल स्त्रियों को गोद लेने का अधिकार दिया गया है लेकिन सामाजिक निषेध एवं परंपरागत सोच के कारण अकेली महिलाओं को गोद लेने से रोकने के लिए कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, वे किसके साथ रहती हैं और बच्चे का पालन–पोषण कौन करेगा? आर्थिक रूप से स्वतंत्र और शिक्षित औरतों से ऐसे सवाल पूछना उनके अस्तित्व को नकारने जैसा है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) एकल महिलाओं के सामने गोद लेने के लिए निम्न शर्तों को रखता है:

1. अकेली मां और बच्चे की उम्र के बीच कम–से–कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए
2. यदि कोई एकल महिला 0 से 3 वर्ष तक के बच्चे को गोद लेना चाहती है तो उसकी उम्र 30 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए
3. एकल अभिभावकों को परिवार का सहयोग होना चाहिए

कारा की उपरोक्त शर्तें एकल माताओं के लिए हैं लेकिन जरूरी नहीं कि इन्हें पूरा कर लेने के बाद उन्हें बच्चा मिल ही जाए। कई ऐसी एकल महिलाएं और पुरुष हैं जिन्हें बच्चा गोद लेने के लिए तीन साल तक का इंतजार करना पड़ा। हर बार कोई–न–कोई प्रावधान जोड़कर उन्हें गोद लेने की योग्यता से वंचित रखने का प्रयास किया जाता रहा। यही परेशानी तलाकशुदा औरतों को भी झेलनी पड़ती है जब वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहती हैं। अकसर उनके घरवाले ही उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और दूसरी शादी करने के लिए दबाव डालते हैं।

दरअसल एकल मां की अवधारणा को आज भी लोग न तो समझ पा रहे हैं और न ही पचा पा रहे हैं। चाहे स्कूल हो या पड़ोसी, बच्चे से पहला सवाल यही पूछा जाता है कि उसके पिता का नाम क्या है? ऐसे में बिना पिता के बच्चों की परवरिश करना किसी भी एकल मां के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि अब कई सामाजिक संस्थाएं और समूह ऐसी महिलाओं की मदद के लिए सामने आ रहे हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं में जगह देने की तैयारी

केंद्र सरकार अभी तक एकल महिलाओं के लिए कोई ठोस कानून लेकर सामने नहीं आ सकी है। हालांकि पंचवर्षीय योजना में ऐसी महिलाओं के लिए प्रावधान किए जाने की बात हो रही है लेकिन अभी तक उसे साकार रूप नहीं दिया जा सका है। 2012 में ही इस विषय पर बात करते हुए आयोग की सदस्य सईदा हमीद ने पत्रकारों से कहा था कि सरकार की कोशिश है कि नौकरियों में एकल महिलाओं के

लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सके। हमीद ने कहा कि अब समय आ गया है जब एकल महिलाओं को मुख्य मंच पर लाया जाए और उनकी समस्याओं को पृथक तौर पर देखा जाए। उन्हें पारिवारिक श्रेणी में न रखकर अलग श्रेणी में रेखांकित किया जाए और तदनुसार कार्यक्रम और कानून बनाए जाएं। देश में एकल महिलाओं की संख्या 71.4 मिलियन है और यदि इसमें लापता हुए लोगों की अकेली बीवियों को भी शामिल कर लिया जाए तो संख्या कहीं अधिक बढ़ सकती है। 'द हिंदू' अखबार से बात करते हुए एनएफएसडब्ल्यूआर (NFSWR) की गिन्नी श्रीवास्तव कहती हैं कि निम्न आयवाली एकल महिलाओं के लिए जीना बेहद मुश्किल है। न तो उन्हें सरकार की ओर से किसी कानून अथवा योजना का संरक्षण प्राप्त है और न ही समाज से। जो कुछ योजनाएं बनी भी हैं तो उनतक पहुंच पाना उनके लिए असाध्य है। इन सबके अतिरिक्त लोगों की सोच और सामाजिक वर्जनाएं तो उनके रास्ते में कांटे बिछाने के लिए मौजूद हैं ही।

राष्ट्रीय नीति में अलग स्थान देने की सिफारिश

2016 में बनी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति में भी एकल महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके लिए अलग से नीति बनाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है ''महिलाओं के लिए वर्तमान में मौजूद आधारभूत संरचनाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि कमजोर, उपेक्षित, प्रवासी तथा एकल स्त्रियों को बेहतर माहौल प्रदान किया जा सके।'' साथ ही इसमें कहा गया है कि एकल महिलाएं, जिनमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता तथा अविवाहित महिलाएं शामिल हैं, की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सघन सामाजिक सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाएगा जिससे उनकी सुरक्षा हो सके, रोजगार के अवसर मिलें और इस प्रकार संपूर्ण कल्याण हो सके।

देश में एकल महिलाओं की दशा पर देर से ही सही पर सरकार और समाज का ध्यान गया है। जरूरत है उनकी आवश्यकताओं को समझने की तथा उनके लिए संघर्ष कर रहे सामाजिक संगठनों की मांगों पर विचार करने की। खासकर गांवों और छोटे शहरों में रह रहीं एकल महिलाएं बेहद विपरीत परिस्थितियों से गुजर रही हैं, उनके लिए शीघ्र और स्पष्ट योजनाओं को आकार देने की जरूरत है।

कुछ मांग, कुछ सिफारिशें

राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच (NFSWR) की 2012 में प्रकाशित रिपोर्ट **'हमारी उपेक्षा कब तक'** में एकल औरतों को संगठित और सशक्त करने के लिए सरकार और समाज के सामने कुछ मांग और सिफारिशें रखी गई हैं जिन्हें हम इस प्रसंग में शामिल कर सकते हैं।

- राज्य व केन्द्र स्तर की सरकारें उचित कानून, नीतियां, योजनायें व पर्याप्त संसाधन मुहैया कराएं, जिन तक कुछ मदद के साथ एकल महिलाएं अपनी पहुंच स्थापित कर पाएंगी।
- पड़ोसी, परिवार के सदस्य और समाज, एकल महिलाओं को मज़बूत औरत, इज़्जतदार औरत, एक अच्छी औरत के रूप में देखें ना कि 'बुरी औरत' या एक समस्या के रूप में।
- संगठन, जिनकी वह सदस्य हैं, उन्हें सम्मानित व वांछनीय होने का एहसास कराएं, उनकी समस्याओं के समाधान में मदद करें, मुश्किल में उनके साथ खड़े रहें और उन्हें एक 'वैकल्पिक परिवार' की सदस्य होने का विश्वास दें।
- समाज व समुदाय के नेतृत्वकर्ता, धर्मनिरपेक्ष वकील और एक जानकार महिला आंदोलन आवश्यकतानुसार विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, अभिरक्षा आदि से संबंधित व्यक्तिगत/पर्सनल कानूनों में बदलाव लाएं।
- खुले विद्यालयों व विश्वविद्यालयों का प्रयोग कर, प्रशिक्षणों में भाग लेकर, शैक्षणिक भ्रमण के ज़रिये एकल महिलाएं अपनी योग्यता व ज्ञान का विकास करें।
- सामाजिक क्षेत्र में अपने काम व नेतृत्व के लिये उन्हें पहचाना जाए।
- एकल महिलाएं उनके समक्ष खड़ी चुनौतियों का सामना कर सकें इसके लिये संगठित होना एक कारगर रणनीति है। सितम्बर 2011 में सात राज्यों की 80,000 से अधिक एकल महिलाएं संगठित हैं। लेकिन इस देश में आधी से ज़्यादा एकल औरतें गरीब हैं। एकल महिलाओं के संगठनों को अलग–अलग राज्यों में और अधिक संख्या में पहुंचना होगा।
- 60 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं ने इस शोध में अधिक संख्या में भाग नहीं लिया है। यह संभव है कि बढ़ती उम्र के साथ बिगड़ती सेहत और बाहर आने–जाने में तकलीफ़ के कारण संगठन की गतिविधियों में वृद्ध महिलाएं भाग नहीं ले पाती हैं। संगठनों को कुछ नवीन प्रयोग करने होंगे जिससे कि वृद्ध महिलाएं भी सक्रिय सदस्य बन पायें।

फोटोः गूगल

सामाजिक दंश है बाल विवाह

15 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के मां बनने पर उनकी मौत का खतरा पांच गुना बढ़ जाता है।

देश में 47 फीसद लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है।

पटना के फुलवारीशरीफ इलाके के कुरकुरी गांव की बुना देवी की उम्र 18 साल है और वो पांच और तीन साल के दो बच्चों की मां है। उसकी शादी 13 साल की उम्र में बैजनाथ महतो के साथ हो गई थी। आज बुना पढ़ना चाहती है लेकिन उसके पति उसके साथ मारपीट करते हैं और पढ़ने से मना करते हैं। बुना के पड़ोसी भी कहते हैं कि अब इस उम्र में पढ़ना शोभा नहीं देता।

हमारे देश में 12–13 साल के बच्चों की शादी कर देना कोई बड़ी बात नहीं हैं बल्कि कहें कि गौर करने लायक भी नहीं मानी जाती है। अपनी आंखों के सामने किसी के बालपन का दम घोंटते समय हम उसे परंपरा और रिवाज के नाम पर स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे में हमें यह जानकर चौंकना नहीं चाहिए कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा बच्चों की शादी भारत में होती है। 2012 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत सरकार की बालिका शिक्षा एवं अन्य योजनाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव बिहार पर नहीं पड़ रहा है। यहां अभी भी बच्चों की शादी के लिए मां–बाप उनके वयस्क होने का इंतजार नहीं करते और करीब 60 फीसद शादियां उनके 18 और 21 वर्ष के होने से पहले ही कर दी जाती हैं। पूरे भारत में इसका प्रतिशत करीब 47 फीसद है। यूनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फंड (यूएनएफपीए) की रिपोर्ट में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हवाले से कहा गया कि देश में वर्ष 2000 से 2011 के बीच 47 फीसद लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी गई। इन 47 फीसद में से 56 फीसद लड़कियां गांवों से थीं जबकि 30 फीसद शहरों में रहती थीं। इनमें 76 फीसद लड़कियां पढ़ी–लिखी नहीं थीं। 75 फीसद लड़कियां बेहद गरीब परिवारों से थीं तो करीब 16 फीसद धनी परिवारों से ताल्लुक रखती थीं। यूएनएफपीए ने दुनिया के 12 ऐसे देशों को 20 मिलियन डॉलर की मदद देने की घोषणा की है जहां किशोरियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वे हाशिये पर हैं, और उन देशों में भारत भी शामिल है।

बच्चे किसी देश का भविष्य होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिसका वर्तमान ही अंधकार में हो, वह भविष्य को कितना उज्ज्वल बना पाएगा, सोचने वाली बात है। यूनिसेफ कहता है कि 15 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के मां बनने पर उनकी मौत का खतरा पांच गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह बाल विवाह बच्चों की जान के साथ सीधा–सीधा खिलवाड़ है। 2011 की जनगणना में इस बात का साफ उल्लेख है कि देश में हर तीसरी विवाहिता की शादी 18 साल से कम उम्र में हुई थी। इनमें भी 78.5 लाख ब्याहताओं की शादी तब हुई थी जब वे दस वर्ष की भी नहीं हुई थीं। ये शर्मनाक है। छोटी उम्र में ब्याह दिये जाने का दंश जिसे सबसे ज्यादा भोगना पड़ता है

फोटोः गूगल

वे होती हैं बच्चियां। कम उम्र में शादी हो जाने से न केवल उनकी पढ़ाई रुक जाती है बल्कि वे भविष्य में न तो अच्छी नौकरी कर पाती हैं और न ही उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो पाता है। एक अध्ययन के मुताबिक, अगर लड़की दस साल तक पढ़ाई कर ले तो उसकी कम उम्र में शादी होने की गुंजाइश छह गुना तक कम हो जाती है। बाल विवाह की शिकार बनी बच्चियां घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और एचआईवी की शिकार भी आसानी से बन जाती हैं। 15 से 19 साल की उम्र में शादी कर दी गई करीब 13 फीसद लड़कियों के साथ उनके पति ने यौन हिंसा की जबकि 30–39 साल की 10 फीसद महिलाओं ने इस तरह की हिंसा को झेला। छोटी उम्र में विवाह का ही नतीजा है कि देश में हर छह में से एक लड़की 15 से 19 साल के बीच गर्भधारण कर लेती है। 20 साल से पहले मां बनने वाली लड़कियों में शिशु मृत्यु दर 76 फीसद है जबकि यही दर 20 से 29 साल के बीच मां बनने वाली महिलाओं के मामले में 50 फीसद है।

यूं तो गरीबी बाल विवाह के सबसे प्रमुख कारणों में है लेकिन भारतीयों की पारंपरिक सोच और रीतियां भी लड़कियों को जल्दी से जल्दी ब्याह देने का दवाब बनाती हैं। यही कारण है कि चाहे हिन्दू

हो या मुस्लिम, बच्चों को बांध देने की मानसिकता दोनों में एक सी है। लड़कियों को बोझ मानने की सोच और दहेज की बढ़ती मांग लड़कियों को कम उम्र में ही शादी कर देने के लिए मां–बाप को मजबूर करती है। बड़ी उम्र में शादी यानी बड़ा खर्च और ज्यादा दहेज, इस चिंता में पड़े मां–बाप अपनी बेटियों को जल्दी ही ब्याह देना चाहते हैं फिर चाहे लड़का किसी भी उम्र और सेाच का क्यों न हो। इसके अलावा लड़कियों की सुरक्षा का खयाल करके भी माता–पिता उनकी शादी जल्दी कर देना चाहते हैं। लड़की पर किसी पुरुष की गलत दृष्टि पड़ जाय उससे पहले उसे ब्याह देना ही अच्छा है, इस सोच को मानने वाले हमारे देश में कम लोग नहीं हैं। बड़े परिवार का बोझ कम हो जाय और लड़की जल्दी से जल्दी अपनी ससुराल चली जाय, ऐसी मानसिकता बाल विवाह को खत्म करने में हमेशा से बाधक रही है। जाहिर है लोगों को बच्चों की शादी कर खुद बच जाने का पूरा मौका मिल जाता है। एक बड़ा नुकसान जो बाल विवाह से हो रहा है वह है परिवार नियोजन की योजनाओं का सफल नहीं हो पाना। किशोरावस्था में गर्भधारण क्षमता कहीं ज्यादा होती है और उस दौरान अनचाहा गर्भ ठहरने की संभावना भी बहुत होती है। कम पढ़ाई–लिखाई और निर्णय लेने में अक्षमता के कारण जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर पाना बेहद कठिन होता है। यही वजह है कि जिन राज्यों की आबादी अधिक है वहां बाल विवाह का अनुपात भी अत्यधिक है।

हालांकि बिहार में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं बिना किसी भेदभाव के हर बालक/बालिका के सभी अधिकारों को सुनिश्चित करने, बाल विवाह, बाल श्रम तथा लैंगिक सशक्तिकरण की अवधारणा पर केन्द्रित एक व्यापक "उड़ान परियोजना" की शुरूआत की गई है। इसके तहत किशोर–किशोरी सशक्तिकरण, बाल विवाह एवं बाल श्रम उन्मूलन, उच्चस्तरीय शिक्षा और समुचित स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जानकारियों के लिए प्रोत्साहन पर जनमानस के बीच व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है।

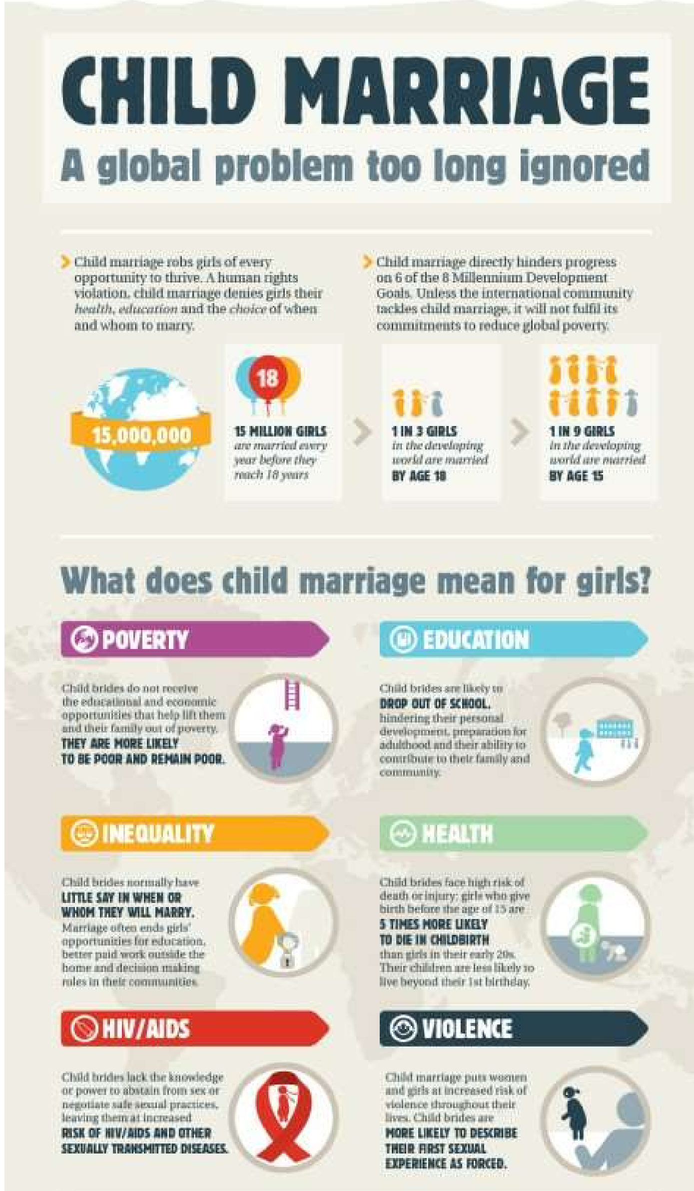

श्रोत : गर्ल्सनॉटब्राइड.आर्ग

मील का पत्थर है 1949 में बना कानून

आजादी के बाद हिन्दुस्तान में महिला अधिकारों की लड़ाई तेज होती गई। हालांकि इसके साथ ही महिलाओं के प्रति हिंसा और उनके शील को भंग करने की सामाजिक कुचेष्टा भी इससे कई गुना ज्यादा स्तर पर बढ़ रही थी। स्त्री को एक इंसान के रूप में देखने के लिहाज से सबसे अहम कड़ी थी 1949 का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। लड़की के जन्म लेते ही उसके हाथ पीले कर देने की चिंता से उपजी इस कुरीति ने न जाने कितनी लड़कियों के आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर दिये थे। आजादी से पहले से भी कुछ स्तर पर बाल विवाह के खिलाफ हवा बनने लगी थी लेकिन तब तक वह सिर्फ घरों के अंदर तक सिमटी थी। 1920 में कुछ संघर्षो के बाद शारदा अधिनियम लाया गया जिसने लड़कियों की शादी की उम्र 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष सुनिश्चित की। महिला आंदोलनों के लिए यह अधिनियम मील का पत्थर बना। इसके बाद के सालों में महिला संगठनों ने लड़ाई के ज्यादा सशक्त माध्यमों को अपनाया और तब जाकर आजादी के दो साल बाद 1949 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया जा सका जिसने लड़कियों को कम से कम 18 वर्ष तक की उम्र तक विवाह बंधन में बंधने से बचा लिया।

वन स्टॉप क्राइसिस सेंटरः सही समय पर सही मदद

जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जिले के अस्पतालों में आपात केन्द्र यानी वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर खोले जाने की अनुशंसा भी है। इसके लिए जस्टिस उषा मेहरा कमेटी के अनुसार एक हजार करोड़ का निर्भया फंड भी जारी किया जाना है। बिहार के सभी जिलों में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर काम कर रहे हैं।

– राज्यों के हर जिले में अस्पतालों को चिन्हित कर यौन उत्पीड़न और बलात्कार पीड़िताओं के लिए आपात केन्द्र जल्द से जल्द खोले जाएं।

– शहरी आपात केन्द्र तक महिलाओं की सीमित पहुंच को देखते हुए पंचायत भवन में भी ग्रामीण आपात केंद्र खोले जाएं ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाएं भी यहां आकर सहायता प्राप्त कर सकें।

–ग्रामीण आपात केंद्रों का संचालय ग्राम कचहरी तथा पंचायत की सामा. जिक न्याय समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए।

– बलात्कार के मामलों में महिला की चिकित्सा केवल शहरी आपात केन्द्र में ही की जाय ताकि उसे समुचित इलाज और कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। यहां से पूरी तरह इलाज हो जाने पर ही महिला को ग्रामीण आपात केन्द्र से जोड़ा जाय।

सभी ग्रामीण आपात केंद्रों की शहरी आपात केंद्र व अन्य विभागों से सामंजस्य बनाकर चलने की जिम्मेदारी दी जाय।

–ग्रामीण आपात केंद्रों पर प्राथमिक चिकित्ससा के अलावे हर तरह की कानूनी सलाह, राहत बचाव और पुनर्वास की सुविधा व अन्य योजनाएं उपलब्ध हों

–ग्रामीण आपात केंद्रों को प्रखंड स्थित महिला हेल्पलाइन से जोड़ा जाय। इसके लिए प्रखंड स्तर पर महिला हेल्प लाइन खोले जाएं और उन्हें जिला स्तरीय शहरी आपात केंद्रों से और महिला हेल्पलाइनों से जोड़ा जाय ताकि पंचायत से लेकर जिला तक समुचित ढांचे का निर्माण हो सके। इस पूरे ढांचे की सलग्नता समाज कल्याण विभाग से हो और स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग सहयोगी की भूमिका में रहे।

– शहरी आपात केंद्रों के आलोक में ग्रामीण आपात केंद्रों में प्रशिक्षित सेवा प्रदाता की टीम हो जिसमें स्थानीय महिला संगठन भी सदस्य हों

– सभी आपात केंद्रों के लिए उचित बजट की व्यवस्था हो जिसमें साल के अंत में बची राशि का न तो किसी अन्य मद में उपयोग हो और न ही उसे वापस लिया जाय।

–बजट का समुचित उपयोग न होने अथवा दुरूपयोग होने पर जिलाधिकारी या सिविल सर्जन को जवाबदेह बनाया जाय

–घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम की भांति यौन उत्पीड़न और बलात्कार पीड़िताओं को भी राहत और पुनर्वास पाने का अधिकार मिले न कि दया या दान के रूप में प्रदान किया जाय। ये राहत नकद राशि, योजनाओं में संलग्नता अथवा सराक. री नौकरी के रूप में दी जा सकती है।

–जस्टिस उषा मेहरा आयोग की रिपोर्ट में हर चिन्हित अस्पताल जहां आपात केंद्र का गठन किया जाना है, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के तहत कुछ प्रोटोकॉल अवश्य सुलभ होने चाहिए

–एक प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक अथवा ऊपर के रैंक का हो, महिला पुलिस अधिकारी को प्राथमिकता दी जाय

– एक महिला परामर्शदात्री अथवा संबंद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ मौजूद रहें जिन्हें इस प्रकार के मामलों को सौंपा जा सके

– प्रशिक्षित परिचारिका मौजूद रहें

–फोरेंसिक जांच की सुविधा तथा पीड़िता के समुचित परीक्षण का सही इंतजाम हो

वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर

– न्यायिक दंडाधिकरी ताकि धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया जा सके
–पी सी आर वैन या निकटतम पुलिस स्टेशन की व्यवस्था हो जो पीड़िता को तुरंत अस्पताल पहुंचा सके
–हर राजस्व जिले में एक सरकारी और एक गैर सरकारी अस्पताल में आपात केंद्र होने चाहिए
–पुनर्वास के लिए पीड़िता को अपराधी की संपत्ति का बड़ा हिस्सा दिया जाय
–हर राजनीतिक दल इसे अपने चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा बनाए और अपने अभियान में शामिल करे
–पंचायतों में सामाजिक न्याय समिति को प्रभावी ढंग से कार्यरत किया जाय
–हिंसा, यौन उत्पीड़न या बलात्कार पीड़िताओं के लिए ममता वाहन 24 घंटे उसी प्रकार मुत सेवा प्रदान करे जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध है।

कार्यस्थल पर रहे सुरक्षित माहौल

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) कानून, 2013 में कहा गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण होना चाहिए खासकर महिलाओं से संपर्क करने वाले लोगों से सुरक्षा मिलनी चाहिए। यौन उत्पीड़न के बाद मिलने वाली सजा से संबंधित नोटिस कार्यस्थल पर समुचित रूप से प्रदर्शित किया जना चाहिए। कर्मचारियों के लिए निश्चित अंतराल पर कार्यशाला और र्कक्रम आयोजि किये जाने चाहिए जिसमें यौन उत्पीड़न से जुड़ें कानूनों की जानकारी दी जा सके तथा साथ ही आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए आरियेंटेशन प्रोग्राम भी चलाया जाना चाहिए। शिकायतों के निवारण और जांच के लिए स्थानीय या आंतरिक समिति को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मामला जारी रहने के दौरान शिकायतकर्ता और गवाहों को आंतरिक समिति के सामने पेश होते समय सुरक्षा दी जानी चाहिए। आईपीसी के तहत शिकायत दर्ज कराने वाली महिला यदि चाहे तो उसे सहयोग दिया जाना चाहिए। यदि कार्यस्थल पर प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति उस कार्यालय का कर्मचारी नहीं है तो महिला को उचित कानून के तहत मामला दर्ज करवाने में मदद की जानी चाहिए।

शिकायत कोषांग

उत्पीड़न का शिकार होने वाली महिला आंतरिक समिति के सम्मुख लिखित रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। आंतरिक समिति न होने की स्थिति में स्थानीय समिति के सामने भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत घटना होने वाले दिन के तीन महीने के भीतर दर्ज करानी होगी जबकि लगातार प्रताड़ना के मामले में अंतिम बार हुई वारदात के तीन महीने के भीतर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

सुनिश्चित हो सुनवाई

कानून यह सुनिश्चित करता है कि हर नियोक्ता एक आंतरिक समिति का गठन लिखित तौर पर करे जो महिलाओं के उत्पीड़न संबंधित मामलों की सुनवाई करे। समिति की प्रमुख उसी संस्थान में कार्यरत कोई वरिष्ठ महिला कर्मचारी होगी जबकि कम से कम दो सदस्य भी वहीं के कर्मचारी होंगे जिन्हें समाज सेवा का अनुभव हो या कानून की जानकारी हो और जो महिला मुद्दों के प्रति संवेदनशील हों। समिति का एक सदस्य किसी गैर सरकारी संगठन का सदस्य होना चाहिए एक–तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी जो कर्मचारियों द्वारा चुन कर भेजी जाएंगी।

जमुई में समाज सुधार अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री

– शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथामुक्त समाज बनाने का दिया संदेश
– अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को प्रोत्साहन राशि
– बापू की बातों को जीवन में उतारने की अपील की

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राज्य में पूर्ण नशामुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन एवं बाल विवाह से मुक्ति हेतु जमुई के श्रीकृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम में आयोजित समाज सुधार अभियान में शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को लेकर बने मंच पर आयुक्त मुंगेर प्रमंडल श्री प्रेम सिंह मीणा ने मुख्यमंत्री को पौधा भेंटकर उनका अभिनंदन किया। जिलाधिकारी जमुई श्री अवनीश कुमार सिंह ने स्मृतिचिह्न भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। जमुई, शेखपुरा एवं लखीसराय के जदयू जिलाध्यक्षों ने फूलों की बड़ी माला पहनाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने मुख्यमंत्री के आगमन पर स्वागत गान प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित 'समाज सुधार अभियान–जमुई एक परिचय' पुस्तिका का विमोचन किया। लोक गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर ने दहेज प्रथा उन्मूलन एवं समाज सुधार अभियान पर आधारित गीत की प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर जीविका दीदियों ने 'बढ़ते कदम' गीत का गायन किया। जनसभा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री ने गुब्बारा उड़ाकर शराबबंदी, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया। जीविका (जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं लखीसराय) द्वारा विभिन्न स्टॉलों पर सतत् जीविकोपार्जन योजना, जीविका प्रोत्साहित जलवायु के अनुकूल खेती, गैर कृषि एवं सूक्ष्म उद्यम आधारित गतिविधियां, दीदी की रसोई, नीरा, समाज सुधार अभियान के पक्ष में किये गए हस्ताक्षरों का संग्रह आदि से संबंधित लगायी गयी प्रदर्शनियों का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री ने सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत 2,558 हितग्राहियों को 6.73 करोड़ रुपये का डमी चेक, बैंकों के माध्यम से 2,886 स्वयं सहायता समूहों को कैश क्रेडिट लिमिट के तहत 49.465 करोड़ रुपये का डमी चेक, जल–जीवन–हरियाली अभियान के माध्यम से 12 नवसृजित जलाशयों के प्रबंधन हेतु 13.45 करोड़ रुपये की राशि का चेक लाभुकों को प्रदान किया। सतत् जीविकोपार्जन योजना की मदद से शराबबंदी के पश्चात् शराब का व्यवसाय छोड़ दूध का कारोबार करने वाले 50 लाभुकों को 33 लाख 50 हजार रुपये की राशि का चेक प्रदान किया गया। अंतरजातीय विवाह करने वाले श्री राहुल कुमार मांझी और श्रीमती बबीता पासवान को मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के तहत एक लाख रुपये का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने लोकगायिका सुश्री मैथिली ठाकुर को अंगवस्त्र, पाग एवं स्मृति चिह्न भेंट कर उन्हें सम्मानित किया।

जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत जीविका समूह की दीदियों ने शराबबंदी, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा मुक्त समाज बनाने के प्रति अपनी–अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। मुख्यमंत्री द्वारा विकास कार्यों के साथ–साथ चलाए जा रहे समाज सुधार अभियान की तारीफ करते हुए श्रीमती बेबी कुमारी, श्रीमती पूनम देवी, श्रीमती गुंजन देवी, श्रीमती रानी देवी, श्रीमती शैला देवी, श्रीमती सुक्रिया देवी, श्रीमती सुनैना कुमारी, श्रीमती सोनी खातून, श्रीमती परवीन खातून एवं दहेज मुक्त आदर्श विवाह करने वाले श्री राहुल कुमार मांझी और श्रीमती बबीता पासवान ने अपनी आपबीती सुनायी तथा अपने कई अनुभवों को भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने आदर्श विवाह करने वाले श्री राहुल कुमार मांझी और श्रीमती बबीता पासवान के साथ फोटो सेशन कराया ताकि दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ लोगों को प्रेरित किया जा सके।

श्रीमती बेबी कुमारी ने बताया कि मेरे माता–पिता कम उम्र में ही मेरी शादी करना चाहते थे, जबकि मैं पढ़ लिखकर कुछ करना चाहती थी। हमने अपने माता–पिता को मेरी शादी करने से मना किया लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। वह समय मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि अगर तुम शादी से इनकार करोगी तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा। उस समय मैं दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। मैंने माता–पिता के सामने यह शर्त रखी कि

यदि मैं मैट्रिक पास कर जाऊँ तो मेरी शादी की बजाय मुझे आगे पढ़ने की अनुमति दें। उन्होंने मेरी शर्त को मान लिया और मैं मैट्रिक की परीक्षा में सेकेंड डिवीजन से पास हो गई। मैंने अपने माता पिता को आश्वस्त किया कि सामाजिक परंपरा और दायरे में रहकर पढ़ाई करुंगी और आपके मान पर धब्बा नहीं लगने दूंगी। इसके बाद मैंने अपनी सहेलियों और आस–पड़ोस की लड़कियों को भी बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरुक करना शुरू किया ताकि सभी लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल कर सशक्त बन सकें।

श्रीमती पूनम देवी ने बताया कि घर के बगल में कुछ लोग शराब बनाया करते थे, जहां शराबियों का जुटान होने से हमलोगों को काफी परेशानी होती थी। आये दिन झगड़ा भी हुआ करता था। मेरे पति भी शराब पीकर घर में झगड़ा करते थे। वर्ष 2016 में शराबबंदी की घोषणा से हमें काफी खुशी हुई। शराबबंदी के बाद भी चोरी–छिपे कुछ लोग मेरे पड़ोस में शराब बनाकर बेचा करते थे। ग्राम संगठन की महिलाओं और प्रशासन की सहायता से उस पर रोक लगाई गयी। शराबबंदी के बाद अब घर की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बच्चों की पढ़ाई एवं भोजन पर पैसे खर्च हो रहे हैं। होली के समय एक शराबी, शराब पीकर ड्रामा कर रहा था। हम सब महिलाओं ने उसे पेड़ से बांधकर पुलिस को फोन किया और इसकी सूचना टॉल फ्री नंबर 15545 पर भी दी।

सतत् जीवकोपार्जन योजना की लाभार्थी श्रीमती गुंजन देवी ने बताया कि मेरा परिवार शराब के रोजगार से जुड़ा हुआ था। शराबबंदी के निर्णय से मुझे काफी खुशी हुई लेकिन परिवार की आमदनी बंद होने से मुझे दुख भी हुआ था। बीमार पति के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। ग्राम संगठन की महिलाओं ने मुझसे संपर्क कर अपने साथ जोड़ा। ग्राम संगठन से मुझे आर्थिक मदद उपलब्ध हुई जिससे मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। साग–सब्जी की खेती भी करने लगी। हमने अपने बच्चों का बीमा भी करवाया। मैं अपने बच्चों को पुलिस सेवा में भेजना चाहती हूं ताकि वे समाज की सेवा कर सके। अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। शराब के अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर हम महिलाएं बिजली के खंभे पर लिखे टॉल फ्री नंबर 15545 पर सूचना देने का काम करते हैं। श्रीमती रानी देवी ने बताया कि मेरे पति बीमार रहते थे। हमलोग दारू बनाकर घर का खर्च चलाते थे। शराबबंदी के बाद जब पैसे की तंगी हुई तो दूसरे के घरों में काम करके अपने परिवार का गुजारा किया करती थी। इसी बीच ग्राम संगठन की दीदी ने हमें सतत् जीवकोपार्जन योजना के तहत आर्थिक मदद दिलाई जिससे हमने किराना दुकान खोला। किराना दुकान में प्रतिदिन 1000 से 1200 तक बिक्री हो जाती है। इसके अलावा बकरी पालन भी करते हैं। दुकान में श्रृंगार का सामान भी रखते हैं। मेरे बच्चे स्कूल में भी पढ़ने जाने लगे हैं। कई दीदियां जो पहले दारु के व्यवसाय से जुड़ी हुई थीं, अब दूध बेचने लगी हैं। सतत् जीवकोपार्जन योजना की लाभार्थी श्रीमती शैला देवी ने बताया कि उनके पति दोनों हाथ से विकलांग हैं जबकि मैं स्वयं पैर से विकलांग हूं। गोतिया के घरों में झाड़ू पोंछा का काम करके खाने का खर्चा निकालती थी लेकिन काम छूटने के बाद भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। जीविका समूह की एक दीदी ने हमें समूह से जुड़ने की सलाह दी। उसके बाद समूह से जो आर्थिक मदद मिली उससे हमने सिलाई मशीन और बकरी खरीदी। दुकान भी खोला, जिससे हमारी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जीविका से मुझे जीने का सहारा मिला है। श्रीमती सुक्रिया देवी ने बताया कि परिवार के लोग पहले दारू ताड़ी का काम करते थे लेकिन शराबबंदी के बाद काफी परेशानी हो रही थी। पति का निधन भी हो गया। जीविका दीदी ने हमें जीविका समूह से जोड़ने की बात कही और सतत् जीवकोपार्जन योजना के जरिये हमें आर्थिक मदद दी गई, जिससे हमने किराना दुकान खोला। बकरी पालन भी कर रही हूं। हमारे बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। बैंक में 60 हजार रुपये भी जमा कर चुकी हूं। मेरी तरह हजारों दीदीयां जीविका समूह से जुड़कर खुश हैं। श्रीमती सुनैना कुमारी ने बताया कि मेरी 14 साल की उम्र में शादी हो चुकी थी क्योंकि मेरे पिता गरीब थे। शादी के बाद मेरे दो बच्चे हुए। शादी के चार साल बाद ही 18 वर्ष की उम्र में मैं विधवा हो गई। ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने माता–पिता के घर पर रहने लगी। मेरे पिता मजदूरी करते थे इसलिए आर्थिक तंगी के कारण काफी परेशानी होती थी। मुझे जीविका समूह के बारे में जानकारी हुई और मैं उससे जुड़ गयी। जीविका समूह से ऋण लेकर मैंने सिलाई मशीन खरीदी। सतत् जीवकोपार्जन योजना और ग्राम संगठन से भी मुझे आर्थिक मदद मिली, जिससे बकरियां खरीदी। अब बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे हैं। मैं अपने माता–पिता को भी आर्थिक मदद करती हूं। बैंक खाते में भी पैसे जमा करती हूं। मैं चाहती हूं कि कोई भी महिला कम उम्र में अपनी बेटी की शादी नहीं करे। बेटी को पढायें और सही उम्र में शादी करें।

विभिन्न योजनाओं की लाभार्थियों ने बताई आपबीती

श्रीमती सोनी खातून ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय होने से एक दिन मजबूर होकर मैं अपने बच्चे को स्टेशन पर जाकर छोड़ आयी लेकिन मन नहीं माना तो फिर बच्चे को जाकर वापस लाई। जीविका दीदी को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होनें जीविका समूह से हमें जुड़ने की बात कही। मैंने कहा कि मैं पढ़ी–लिखी नहीं हूं तो रोजगार कैसे करूंगी। तब जीविका दीदी ने हमें समझाया कि समूह की तरफ से आर्थिक मदद दी जायेगी। मुझे आर्थिक मदद मिली उससे हमने किराना दुकान खोली। मेरा राशन कार्ड भी बन गया। धीरे–धीरे मेरी स्थिति बेहतर हो रही है। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं।

श्रीमती परवीन खातून ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह दूसरे के घरों में दाई का काम करती थी। पति जब बीमार हुए तो चंदा इकट्ठा करके इलाज कराया। अब जीविका समूह से जुड़ने के बाद सब्जी बेचने का काम कर रही हूं। अपना घर भी बना लिया है। गाय

भी खरीदी है और अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा भी रही हूं। गाय पालन होने से परिवार के लोगों को दूध भी मिलने लगा है। पहले बैंक का मुंह तक नहीं देखा था लेकिन जीविका समूह से जुड़ने के बाद मैं स्वयं बैंक में पैसा जमा करने लगी हूं। आज हमारे पास आधार एवं राशन कार्ड भी है।

अंतरजातीय विवाह करने वाली श्रीमती बबीता पासवान ने बताया कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ हमने शादी की है। मुख्यमंत्री के दहेज मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही हूं। श्रीमती बबीता देवी के पति श्री राहुल कुमार मांझी ने बताया कि दहेज मुक्त एवं अंतरजातीय विवाह करने से मेरे माता–पिता नाराज थे लेकिन पत्नी की कार्यकुशलता देखकर परिवार के लोग काफी खुश हुए और उनकी नाराजगी भी दूर हो गई। मुख्यमंत्री के दहेज प्रथा उन्मूलन को सफल बनाने के लिए हम दोनों पति–पत्नी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। विधायिका सुश्री श्रेयसी सिंह को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि इन्होंने दो–दो मेडल जीते हैं। यहां पर जीविका समूह से जुड़ी 9 दीदियों ने अपने अनुभव साझा किये। आदर्श और अंत. रजातीय शादी करने वाली श्रीमती बबीता देवी एवं श्री राहुल कुमार मांझी ने भी आप बीती सुनाई है। इन लोगों ने अंतरजातीय विवाह किया है, मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई है। लड़की पासवान जाति से है जबकि लड़का मांझी समाज से है। हमने बुलाकर उन्हें बधाई भी दी है। समाज सुधार का यह जो अभियान चल रहा है, यह अंतरजातीय विवाह उसी का एक हिस्सा है। यह एक तरह से आदर्श विवाह है। राज्य सरकार की तरफ से अंतरजातीय विवाह करने वालों को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हमने कहा है कि यह प्रोत्साहन राशि आज ही यहीं दे दी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2021 से ही हमने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की थी। इसको लगातार आगे बढ़ाने वाले थे लेकिन इसी साल जनवरी माह में कोरोना का तीसरा दौर आ गया। हमें भी ओमिक्रॉन हो गया। हम पूरी तरह आइसोलेट रहे। देश दुनिया की तुलना में बिहार में इसका कम प्रभाव रहा। कोरोना के बढ़ते प्रक्रोप को देखते हुए 6 जनवरी के बाद इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। कोरोनापीड़ित लोगों के इलाज का पुख्ता प्रबंध किया गया। लोगों को सचेत एवं जागरुक करने के लिए गाइडलाइन भी जारी किये गये। अब कोरोना संक्रमण का प्रभाव काफी तेजी से नीचे जा रहा है। यह देखकर मुझे खुशी हो रही है। अब जमुई जिले में कोरोना संक्रमित सिर्फ एक व्यक्ति है। लखीसराय जिले में 3, शेखपुरा में 6 और मुंगेर में सिर्फ 4 व्यक्ति ही कोरोना से संक्रमित हैं। आप सब सचेत और सजग रहिए तभी यह धीरे–धीरे पूरी तरह से खत्म होगा। दुनिया के कई देशों में वर्ष 2019 में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आये थे जिसे कोविड–19 नाम दिया गया। हमको पूरा भरोसा है कि यह अब खत्म हो जायेगा।

हम प्रतिदिन पूरे बिहार और बिहार के बाहर की स्थिति की जानकारी भी लेते रहते हैं। बिहार पहला राज्य है जहां कोरोना संक्रमण से मृतक के परिजनों को चार–चार लाख रुपये की सहायता राशि देने की शुरुआत की गई। कोरोना काल में बिहार के बाहर जो लोग फंसे थे, उनको बिहार लाने का प्रबंध किया गया। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा ट्रेनें भी चलाई गयीं। राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न राज्यों में बिहार के फंसे लोगों के भोजन का इंतजाम भी किया गया। कोरोना सक्रंमण चीन से शुरू हुआ था, अब इससे निजात मिलेगी। कोरोना संक्रमण से विकसित देश भी काफी प्रभावित हुए। विकसित देशों की तुलना में भारत पर इसका प्रभाव कम रहा। आबादी में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि कोरोना के मामले में यह 25वें स्थान पर रहा। हम चाहते हैं कि समाज सुधार का यह अभियान निरंतर चलता रहे।

वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू करने के बाद हम सभी प्रमण्डलों में 9 जगहों पर गये थे। शराबबंदी से लोगों को काफी फायदा हुआ है। शराब की बिक्री से सरकार को काफी राजस्व मिलता था लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने भी शराबबंदी लागू की थी लेकिन उसे दो साल बाद ही खत्म कर दिया गया, जिसे देखते हुए मेरे मन में आशंका रहती थी कि हम शराबबंदी लागू कर पाएंगे या नहीं। 9 जुलाई 2015 को पटना में जीविका के एक कार्यक्रम में महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं वापस माइक पर आया और कहा कि अगर आपलोगों ने फिर से सेवा का मौका दिया तो बिहार में शराबबंदी लागू करेंगे। बिहार की जनता ने पुनः हमलोगों को काम करने का मौका दिया और हमने 20 नवबंर को शपथ ली। शपथ लेने के बाद 26 नवंबर को ही मीटिंग बुलाकर शराबबंदी को लेकर अभियान चलाने का निर्णय लिया। वर्ष 2011 से ही 26 नवंबर को हमलोग मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। शराब पीना बुरी चीज है। इसे लोगों के बीच प्रचारित एवं प्रसारित करवाते थे। 26 नवंबर 2015 को मद्य निषेध दिवस कार्यक्रम में शराबबंदी के पक्ष में बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। 30 मार्च 2016 को कानून बनाया गया और 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबदी लागू की गइ। पहले 1 अप्रैल 2016 को ग्रामीण इलाके में देशी और विद. ेशी शराब पर हमलोगों ने रोक लगायी, जबकि शहरी इलाकों, नगर निगम और नगर परिषद में तब विदेशी शराब बंद नहीं करने का निर्णय लिया गया था। हमने सोचा गांव में इतना अभियान चलाए हैं और शहर में नहीं चलाए हैं तो बाद में इसको हम देखेंगे लेकिन शहरों में महिलाएं, युवक–युवतियों, कई जगहों पर पुरुषों ने भी शराब की आवंटित दुक. ानों के खोले जाने पर कड़ा विरोध जताया। इसके बाद हमने कैबिनेट

की मीटिंग बुलाई और 5 अप्रैल 2016 को राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। उसके बाद शराबबंदी को लेकर व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया गया।

एक जगह पर एक महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि मेरे पति काम से लौटते थे तो दारू पीकर आते थे, मारपीट करते थे, हंगामा करते थे। परिवार में सभी को बुरा लगता था, देखने में बुरे लगते थे। अब जब शराबबंदी हो गई तो बाजार से सब्जी लेकर आते हैं और घर में आते हैं तो मुस्कुराते हैं और घर के काम में भी सहयोग करते हैं। वे अब देखने में भी अच्छे लगते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद लोग गड़बड़ मानसिकता के होते हैं। यह प्रकृति की ही देन है कि सभी लोग सही नहीं हो सकते हैं। 10 प्रतिशत से कम लोग गड़बड़ी करने वाले होते हैं। चंद बड़े–बड़े लिखने वाले लोग हैं, वे खुद को काबिल समझते हैं और शराबबंदी को लेकर अनाप–शनाप लिखते रहते हैं। ऐसे लोग मेरी आलोचना करते हैं और मुझसे नाराज रहते हैं। यहां आप सबों के बीच जो बुकलेट वितरित किया गया है, उसमें बापू की कही बातों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शराब सेवन के दुष्परिणामों पर जारी रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। इसे अपने घरों में सुरक्षित रखियेगा, खुद भी पढ़ियेगा और लोगों को भी पढाइयेगा। बापू ने कहा था कि शराब आदमी से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेता है। शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। बापू ने कहा था कि यदि एक घंटा के लिए हम तानाशाह बन जायें तो शराब को बंद करा देगें। संविधान में भी सभी राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वो चाहे तो अपने–अपने राज्यों में शराबबंदी लागू कर सकते हैं। वर्ष 2018 में हमने सर्वे कराया था जिसमें यह पता चला कि करीब 1 करोड़ 64 लाख लोगों ने अब शराब पीना छोड़ दिया है। इस बार फिर से इसको लेकर सर्वे किया जा रहा है। शराब पीने के पक्षधर लोग कहते हैं कि नहीं पीयेंगे तो तबीयत खराब हो जायेगी। यह बिल्कुल गलत बात है। दारु पीने से तबीयत ठीक नहीं बल्कि खराब होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज सुधार का अभियान आप निरंतर चलाते रहें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरी दुनिया का वर्ष 2016 में सर्वेक्षण कराया और 2018 में ही रिपोर्ट को प्रकाशित किया। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब पीने से दुनिया में एक साल में 30 लाख लोगों की मृत्यु होती है यानि दुनिया में जितनी मृत्यु हुई है उसका 5. 3 प्रतिशत मौत शराब पीने से हुयी है। 20 से 39 आयु वर्ग के लोगों में 13.5 प्रतिशत मृत्यु शराब पीने के कारण होती है। शराब के सेवन से 200 प्रकार की बीमारियां होती हैं, जबकि 18 प्रतिशत लोग शराब पीने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। डायबिटीज, लिवर सिरोसिस जैसी अनेक बीमारी शराब पीने से होती है। शराब पीने के कारण 18 प्रतिशत आपसी झगड़े होते हैं। शराब पीने के कारण दुनिया भर में 27 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण जैसी गंभीर बीमारी से भी उतनी मौतें नहीं हुई है जितनी एक साल में दारु पीने से होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहरीली शराब की घटना जब सामने आयी तब कुछ लोग शराबबंदी को असफल बताने लगे। इस पर तरह–तरह के सवाल उठाने लगे। तब हमने कहा कि शराब पीना बुरी चीज है, पीओगे तो मरोगे। कुछ लोग जहरीली शराब पिला देगा तो मर जाओगे। दूसरे कई राज्यों में शराबबदी नहीं है, वहां भी जहरीली शराब पीने से यहां से अधिक मौतें हुआ करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी हमने वर्ष 2017 में अभियान की शुरुआत की थी। शराबबदी के बाद बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आयी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कही गयी बातों और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर अमल कीजिए और दूसरे को भी बताइये। एक–एक आदमी को सचेत करना है। हमलोग विकास के साथ–साथ समाज सुधार का भी काम कर रहे हैं।

24 नवंबर 2005 को हमने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। उस समय बिहार की क्या हालत थी। शाम होने के बाद लोग अपने घरों से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। अब सभी लोग आनंद से रहते हैं। सड़कों की हालत काफी दयनीय थी। हमलोग गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने और उसे ठीक रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 के पहले गरीब गुरबों, समाज के कमजोर तबकों एवं महिलाओं के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं थी। पांचवीं क्लास के बाद परिवार की गरीबी एवं पोशाक के अभाव में लड़कियां आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती थीं। उस समय गरीबी के कारण 12.5 प्रतिशत बच्चे स्कूलों से बाहर थे। हमलोगों ने अनेक स्कूलों का निर्माण कराया। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। इस पर कुछ लोगों ने तंज कसना शुरू किया कि साइकिल से स्कूल जाती लड़कियों को लोग रास्ते में तंग करेंगे। हमने कहा कि कोई तंग नहीं करेगा। इससे लड़कियां काफी खुश हैं, इसे भूलियेगा मत। बिहार की साइकिल योजना को तीन देशों के लोग देखने आये थे। वर्ष 2009–10 एवं 2011 में रिपोर्ट भी प्रकाशित कराया था। बाद में लड़कों की मांग पर उनको भी साइकिल योजना का लाभ दिया गया। एक साल पहले मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 300 अधिक थी। वर्ष 1994–95 में ग्राम पचांयत और नगर निकायों में महिलाओं को एक–तिहाई आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने कानून बना दिया लेकिन यह बिहार में लागू नहीं हुआ। बिहार पहला राज्य है जिसने ग्राम पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया। इस बार आरक्षण के साथ चुनाव का यह चौथा टर्म है। इसी साल नगर निकाय का भी चुनाव होना है। वर्ष 2006 में हमने स्वयं सहायता समूह के द्वारा किये जा रहे कार्यों को देखा जिसका

बिहार पहला राज्य है जिसने ग्राम पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया। इस बार आरक्षण के साथ चुनाव का यह चौथा टर्म है। इसी साल नगर निकाय का भी चुनाव होना है। वर्ष 2006 में स्वयं सहायता समूह के द्वारा किये जा रहे कार्यों को देखा गया जिसका नाम जीविका रखा गया।

हमने जीविका नाम दिया। भ्रम में मत रहियेगा। 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर इस काम आगे बढ़ाया गया। अब 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन हो चुका है। आज 1 करोड़ 28 लाख परिवारों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। इससे महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर हुई है। वर्ष 2013 में पुलिस बल में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया गया। वर्ष 2016 से सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या 25 हजार 128 है। पुलिस सवेा में महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने हाशिये पर खड़े लोगों के उत्थान के लिए विशेष पहल की। सभी धर्म समुदाय के विकास के लिए हमलोगों ने काम किया। सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल, हर घर शौचालय निर्माण, हर घर पक्की गली–नाली का निर्माण आदि कराया गया। अब इन सबके मेटेंनेस का कार्य भी किया जायेगा। पूरे बिहार में अभी कितने सड़कों की और जरूरत है, इसको लेकर सर्वेक्षण करा रहे हैं। न्याय के साथ विकास एवं लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। लड़कियों की कम उम्र में शादी से कई प्रकार की परेशानियां होती हैं इसलिए गांव–गांव तक समाज सुधार अभियान को निरंतर चलाइये। केंद्र सरकार ने भी बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने हेतु कानून बनाने की शुरुआत की है। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ पहले से ही कानून बने हुये हैं बावजूद इसके आज भी यह कुप्रथा समाज में व्याप्त है। दहेज के कारण हत्या, आत्महत्या, प्रताड़ना आदि की घटनाएं आये दिन घटित हुआ करती हैं। हमने यह तय किया है कि शादी के निमंत्रण कार्ड में दहेज मुक्त शादी की बात लिखी होगी, उसी शादी समारोह में शामिल होगें। इसके प्रति आपकी भी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, तभी यह कुप्रथा खत्म होगी। समाज सुधार अभियान के इस कार्यक्रम को हम और चार जगहों पर करेंगे लेकिन आप इसे निरंतर जारी रखियेगा। अंतरजातीय शादी को भी बढ़ावा दीजिए। बिहार में जब हम जीविका समूह बनाये तो उस समय केंद्र सरकार के लोग इसे आकर देखा और देश भर में इसका नाम आजी. विका समूह कर दिया। आप अपना काम अच्छे ढंग से कीजिए। सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत मदद दी जा रही है। नीरा स्वास्थ्यवर्द्धक एवं स्वादिष्ट पेय पदार्थ है। सूर्योदय से पहले जो ताड़ी निकलती है उसी से नीरा बनता है। नीरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े लोगों को राज्य सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये तक की सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत मदद दी जा रही है। नीरा स्वास्थ्यवर्द्धक एवं स्वादिष्ट पेय पदार्थ है। सूर्योदय से पहले जो ताड़ी निकलती है उसी से नीरा बनता है। नीरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े लोगों को राज्य सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये तक की सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

समाज सुधार अभियान को निरंतर चलाने के लिए आप सभी ने हाथ उठाकर संकल्प लिया है। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी के सहयोग से समाज विकसित होगा, बिहार आगे बढ़ेगा और देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखते हुए समाज को एकजुट रखें, मिल–जुलकर आगे बढ़ें। हम अपना काम कर रहे हैं। समाज सुधार, विकास, समाज में प्रेम, भाईचारे का भाव हो, सब मिलकर चलें, हमारी दिलचस्पी इसी में है। हम शुरू से काम कर रहे हैं।

कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री सह मुंगेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री सह शेखपुरा जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री सह जमुई जिले के प्रभारी मंत्री श्री अशोक चौधरी, मंत्री मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन श्री सुनील कुमार, परिवहन मंत्री सह लखीसराय जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री सुमित कुमार सिंह, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह श्री चैतन्य प्रसाद, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के.के. पाठक ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर विधायक श्री दामोदर रावत, विधायक सुश्री श्रेयसी सिंह, विधायक श्री सुदर्शन कुमार, विधायक श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, विधायक श्री राजीव कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, शिक्षा सचिव श्री असंगबा चुबा आओ, आयुक्त भागलपुर श्री प्रेम सिंह मीणा, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदा. धिकारी श्री बाला मुरुगन डी., मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, पुलिस उप महा. निरीक्षक, मुंगेर श्री संजय कुमार, जिलाधिकारी जमुई श्री अवनीश कुमार सिंह, शेखपुरा जिलाधिकारी श्रीमती इनायत खान, लखीसराय जिला. धिकारी श्री संजय कुमार सिंह, मुंगेर जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार, पुलिस अधीक्षक जमुई श्री शौर्य सुमन, पुलिस अधीक्षक शेखपुरा श्री कार्तिकेय के. शर्मा, पुलिस अधीक्षक लखीसराय श्री सुशील कुमार, पुलिस अधीक्षक मुंगेर श्री जगुनाथ जलारेड्डी सहित अन्य वरीय पदाधिकारी, जीविका दीदीयां एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कुरीतियों को दूर करने के लिए अनोखी पहल

पिछले तीन महीनों में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियां

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की जनसभाएं

बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन तथा शराबबंदी जैसे क्रांतिकारी निर्णय के सख्ती से अनुपालन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यव्यापी समाज सुधार अभियान चलाया गया। यह अभियान राज्य सरकार की इन सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समाज सुधार अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री के बिहार के सभी जिलों को जोड़कर कुल 12 जनसभाएं की गई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराबबंदी जैसी कुप्रथाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। साथ ही सभी को मिलकर इन समाजिक कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।

समाज सुधार अभियान के दौरान निगम के द्वारा बाल विवाह, दहेज प्रथा, 181 महिला हेल्पलाइन एवं महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों के प्रति लोगों में जन–जागरूकता बढ़ाने के लिए संचार के विभिन्न माध्यमों यथा वीडियो वैन, ई–रिक्शा, वॉल रैंप, आउटडोर बैनर, रेडियो पर जागरूकता कैंपेन इत्यादि के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। इसके साथ ही बिहार के सभी जिलों में चलने वाली पथ परिवहन निगम की बसों के पीछे भी प्रचार–प्रसार किया गया। इसके अतिरिक्त समाज सुधार अभियान के दौरान राज्य के सभी प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालयों में होर्डिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेशों का प्रदर्शन किया गया।

बिहार के सभी जिलों में उड़ान परियोजना शुरू

सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं बिना किसी भेदभाव के हर बालक/बालिका के सभी अधिकारों को सुनिश्चित करने, बाल विवाह, बाल श्रम तथा लैंगिक सशक्तिकरण की अवधारणा पर केन्द्रित एक व्यापक "उड़ान परियोजना" की शुरूआत की गई। इसके तहत किशोर–किशोरी सशक्तिकरण, बाल विवाह एवं बाल श्रम उन्मूलन, उच्चस्तरीय शिक्षा और समुचित स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जानकारियों के लिए प्रोत्साहन पर जनमानस के बीच व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम किया रहा है। बिहार के 22 जिलों में इस परियोजना का क्रियान्वयन यूनिसेफ एवं उनके सहयोगी सस्थाओं के माध्यम से एवं बाकी जिलों में महादलित विकास मिशन के सहयोग से चलाया जाएगा।

जिला और राज्यस्तरीय पदाधिकारियों का दो दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला

महिला एवं बाल विकास निगम और यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से उड़ान परियोजना के जिला और राज्य स्तर के पदाधिकारियों और निगम के जिला परियोजना प्रबंधकों का दो दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा ने यूनिसेफ बिहार की प्रमुख सुश्री नफीसा बिंते शफीक, कार्यक्रम प्रबंधक श्री शिवेंद्र पांड्या, निगम के परियोजना निदेशक, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रशासी पदाधिकारी सुश्री पूनम कुमारी, यूनिसेफ की व्यवहार परिवर्तन विशेषज्ञ श्रीमती मोना सिन्हा, बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमती गार्गी साहा एवं अन्य गणमान्य अतिथियों और अन्य डेवलपमेंट पार्टनर्स के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राज्यस्तरीय वेबिनार का आयोजन

राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर निगम के द्वारा कई गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न माध्यमों के जरिए प्रचार–प्रसार, रेडियो कैंपेन, समाचार पत्रों में विज्ञापन के साथ ही एक राज्यस्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास निगम, यूनिसेफ बिहार एवं आद्री के संयुक्त तत्वावधान में राज्यस्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में बिहार के तत्कालीन विकास आयुक्त, श्री अतुल प्रसाद, महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक, श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव, श्री संदीप पौंड्रिक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव श्री देवेश सेहरा, यूनिसेफ बिहार प्रमुख नफीसा बिंते शफीक, बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमती गार्गी साहा, आद्री के सदस्य सचिव, प्रो प्रभात पी घोष, बाल अधिकार कार्यकर्ता डॉ कृति भारती, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरू के प्रो ऋत्विक बनर्जी, इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी के प्रो शाश्वत घोष सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बिहार के 22 जिलों में चलाये जा उड़ान परियोजना के तहत गठित किशोर–किशोरियों के समूह से समीक्षा सिंह और नीतू कुमारी ने भी अपने विचार रखे। वेबिनार में विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, विकास साझेदार के प्रतिनिधि, रिसर्च संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित लगभग 150 लोगों ने भाग लिया।

महिला उद्यमियों की हुनर को पहचान

वसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में 52 लाख की हुई बिक्री

पटना। वसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले का समापन 2 मार्च को महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष श्रीमती उषा झा, परियोजना निदेशक, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रशासी पदाधिकारी सुश्री पूनम कुमारी की उपस्थिति में किया गया।

महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा ने कहा कि महिला हो या पुरुष सभी में हुनर है। लड़की के लिए भी उतना ही मानव अधिकार है जितने पुरूषों का है। महिलाओं को हक़ मांगने की जरूरत नहीं है। श्रीमती कौर ने युवा महिला उद्यमियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि महिला स्वयंसिद्धा है, उनमें सृष्टि रचने की शक्ति है। महिलाओं को जरूरत है अपनी शक्तियों, क्षमताओं को जानने की। यह समझने की वो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। महिलाओं की लड़ाई उनके जन्म से शुरू होकर अंतिम समय तक चलती है। महिला और पुरुष दोनों को संविधान ने समान अधिकार दिए हैं तो फिर हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये मत देखिये की आपके पास क्या नहीं है, आपके पास जो है उसके साथ आगे बढ़े।

परियोजना निदेशक श्री अजय श्रीवास्तव ने कहा की इस मेले में अब तक कुल 52 लाख रुपये की बिक्री हुई है। पाँच दिवसीय इस मेले में महिला उद्यमियों ने आकर हम सबका मान बढ़ाया। हमारी योजना से उद्यमी महिला को सक्षम, आत्मनिर्भर बनाने में मदद होंगी।

महिला उद्यमी संघ की श्रीमती उषा झा ने कहा कि यह आयोजन बहुत सफल रहा है। कोरोना काल मे कई महिला उद्यमी आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गई थी। लेकिन इस आयोजन से सभी उद्यमी महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान आई है।

इस बार मेले में कुल 213 प्रतिभागियों में से सफसे सफल उद्यमी में प्रथम स्थान पर वहीदा अहमद, द्वितीय स्थान पर टिकुली, बरली कला और मंजुषा कला की उद्यमी, स्मिता पराशर रही। पाक कला की रिंकू देवी को तीसरा पुरस्कार मिला। इससे पहले, महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा आयोजित इस मेले का उद्घाटन समाज कल्याण विभाग, बिहार के माननीय मंत्री श्री मदन सहनी ने किया था और इस मेले को महिला उद्यमियों के विकास के मार्ग में मील का पत्थर बताया था। उन्होंने कहा था कि यह मेला महिला उद्यमियों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। अब ऐसा कोई कार्य नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। महिलाएं अब बराबरी नहीं कर रही बल्कि आगे निकल रही हैं। मेले को पटना के उत्तर गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार सरकार द्वारा आयोजित चार दिवसीय वसंतोत्सव के तहत आयोजित किया गया था। श्री मदन सहनी ने यह भी कहा कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का योगदान होता है। उन्होंने कहा कि जिस परिवार में महिला जितनी पढ़ी लिखी होगी और सक्षम होगी वो परिवार उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। इस मेला के आयोजन के लिए निगम की सराहना करते हुए श्री सहनी ने कहा कि इस मेला के माध्यम से महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिए एक बेहतर मंच मिलेगा।

पटना में महिला उद्यमी मेला का उद्घाटन करते श्री मदन सहनी एवं पुरस्कृत उद्यमियों के साथ श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा।

2, दारोगा प्रसाद राय पथ, वीरचंद पटेल रोड,
पटना, बिहार 800028